न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–2, बाड़मेर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	:	मिनाक्षी मीणा
सेशन प्रकरण संख्या	:	66/2024
सीआईएस नंबर	:	104/2020
एफ.आई.आर. संख्या	:	147/2020 थाना महिला, जिला बाड़मेर
CNR	:	RJBM010009752020

आरोप अन्तर्गत धारा 498 ए, 304 बी भारतीय दण्ड संहिता

निर्णय दिनांक 10–07–2026

शिकायतकर्ता	राजस्थान राज्य
उपस्थित	श्रीमती अनामिका सांदू, अपर लोक अभियोजक श्री नवलसिंह राठौड़, अधिवक्ता परिवादी की ओर से ।
अभियुक्त	परमवीरसिंह उर्फ हैप्पी पुत्र नखतसिंह, निवासी ईन्द्रोई, पुलिस थाना रामसर, हाल नागाणाराय कॉलोनी, पुलिस थाना सदर, जिला बाड़मेर ।
उपस्थित	श्री दिनेश विश्नोई, अधिवक्ता–अभियुक्त

संदर्भित तारीखों का विवरण

घटना की तारीख	17–06–2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	18–06–2020
चार्जशीट पेश होने की तारीख	07–08–2020
आरोप विरचित किये जाने की तारीख	10–11–2020
अभियोजन साक्ष्य प्रारम्भ होने की तारीख	16–01–2021
निर्णय सुरक्षित रखने की तारीख	
निर्णय तारीख	10–07–2026
दण्डादेश की तारीख	–

मुलजिम/मुलजिमान की सूचना

क्र.सं.	मुलजिम का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत की तारीख	आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा	बरी या दोषसिद्ध	अधिरोपित दण्ड	विचारण के दौरान भुगती गई निरोध की अवधि
1	परमवीरसिंह उर्फ हैप्पी	14–07–2020		498 ए, 304 बी भादसं	बरी	–	14–07–2020 से लगातार निर्णय तक

--नि र्ण य --

दिनांक : 10 जुलाई, 2026

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त रूप से इस प्रकार से है कि दिनांक 18.06.2020 को मुस्तगीस सुरेन्द्रसिंह ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसकी छोटी बहिन पंकज कंवर की शादी परमवीरसिंह उर्फ हैप्पी से 06 वर्ष पूर्व हिन्दू रीति-रिवाज से हुई थी । शादी के कुछ महीने बाद परमवीरसिंह व ससुर, सास व जेठ गणपतसिंह जो शादी के बाद से लगातार उसकी बहिन पंकज कंवर को दहेज के लिए परेशान कर उसे प्रताडित करते थे । ये आरोपी उसकी बहिन के साथ हमेशा कर उसे परेशान कर अपने पिता के घर से पैसे व दहेज लाने की माँग करते थे । नखतसिंह व गणपतसिंह ने उसे कई बार फोन पर धमकियां देकर बोला कि परमवीरसिंह को शादी में दहेज के रूप में कुछ नहीं दिया, अगर दहेज में पैसे और सोने-चाँदी के गहने नहीं दोगे तो वे उसकी बहिन को जान से मार देंगे । गणपतसिंह वर्तमान में राजस्थान पुलिस में कानिस्टेबल के पद पर कार्यरत है, जो अपना पुलिस का पावर दिखा कर उसे हमेशा परेशान करता था कि आप दहेज दे दो, नहीं तो वह उसके पूरे परिवार को किसी झूठे मामले में फंसा देगा। उसकी बहिन के दो बच्चियां उनके साथ भी ये लोग सौतेला व्यवहार करते थे । इन लोगों से परेशान होकर उसकी बहिन ने उसे कई बार फोन करके बोला कि भाई वह इन लोगों से बहुत परेशान है, ये लोग उसे हमेशा दहेज के लिए प्रताडित करते हैं और उसे धमकियां भी देते कि अगर तेरे भाई ने दहेज के रूप में उन्हें पैसे व सोने-चाँदी के गहने नहीं दिये तो वे लोग उसे मौत के घाट उतार देंगे । जब उसने इस संबंध में अपने परिवार के वरिष्ठ लोगों से बात की, तब वे लोग इनके घर पर समझाईश करने गये और बोला कि आप क्यों उनकी बेटी को परेशान कर रहे हो, तभी इन लोगों ने बोला कि अब वे आगे से परेशान नहीं करेंगे । आज दिनांक 17.06.2020 को सुबह 09:30 बजे उसकी बहिन पंकज कंवर का उसके पास फोन आया और उसे बोला कि भाई ये लोग उसे दहेज के लिए बहुत ही परेशान कर रहे हैं, तब उसने अपनी बहिन को बोला कि वह अभी बाहर किसी काम से गया है, शाम को उसके पास बाड़मेर आता हूँ । इस दिन समय दोपहर 02:45 बजे गणपतसिंह का फोन उसके पास आया और बोला कि आपकी बहिन पंकज कंवर ने फांसी का फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली है । तब उसने अपने अंकल के लड़के फतेहसिंह को इस मामले की जानकारी दी, तभी फतेहसिंह उसके परिवार के 15 सदस्यों के साथ उसकी बहिन के घर गये, जब वहाँ जाकर देखा तो उसकी बहिन मृत अवस्था में पलंग पर थी । जब वे वहां पहुँचे थे, उससे पहले पुलिस भी मौके पर पहुँच चुकी थी, तब भी उसकी बहिन मृत अवस्था में

पलंग पर थी । जब उसके परिवार वालों ने उसकी बहिन को मृत अवस्था में देखा तो उसके चेहरे पर मारपीट के निशान व गर्दन, पीठ पर भी निशान थे । उन्हें पूरा संदेह है कि उसकी बहिन का इन लोगों ने गला दबाकर मार डाला और आत्महत्या का रूप दे दिया । जबकि अगर उसकी बहिन ने आत्महत्या की होती तो पंखे या किसी पेड़ पर लटकती मिलती, मगर मौका पर ऐसा कुछ नहीं था .... वगैरा ।

2. उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र महिला, जिला–बाड़मेर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 147/18.06.2020 अन्तर्गत धारा 498 ए, 304 बी, 323/34 भा.द.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। आवश्यक सम्पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्त परमवीरसिंह उर्फ हैप्पी के विरूद्ध धारा– 498 ए, 304 बी भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराधों में आरोप–पत्र दिनांक 07.08.2020 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर के समक्ष पेश किया गया।

3. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर (राजस्थान) द्वारा अभियोग पत्र के आधार पर लिये गये प्रसंज्ञान के क्रम में सम्बन्धित अपराध अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा अन्वीक्षा योग्य पाते हुये न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या 01, बाड़मेर को उपार्पित किया गया, जहाँ से यह प्रकरण इस न्यायालय में अन्तरण की प्रक्रिया से होते हुये प्राप्त हुआ है।

4. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498 ए, 304 बी भादसं का आरोप बनना पाया जाने की स्थिति में अभियुक्त परमवीरसिंह उर्फ हैप्पी के विरूद्ध धारा– 498 ए, 304 बी भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध हेतु आरोप विहित प्रारूप में विरचित किये जाकर सुनाये गये। अभियुक्त ने आरोपित अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

<u>अभियोजन साक्षीगण की सूची</u>

क्रम सं.	साक्षी का नाम	किस बाबत् साक्षी
1	अनिल शर्मा	घटनाक्रम का गवाह
2	सगतसिंह	घटनाक्रम का गवाह
3	देवीसिंह पुत्र शोभसिंह	घटनाक्रम का गवाह
4	सुरेन्द्रसिंह	मृतका का भाई

5	सोहनलाल	घटनाक्रम का गवाह
6	मनोहरसिंह	घटनाक्रम का गवाह
7	रतनसिंह	पंचनामा का गवाह
8	हेमसिंह उर्फ हेमेन्द्रसिंह	पंचनामा का गवाह
9	दुर्जनसिंह	मृतका का चचेरा भाई
10	देवीसिंह पुत्र कमलसिंह	पंचनामा व नक्शा मौका का गवाह
11	जालमसिंह	पंचनामा, सुरतहाल, सुपुर्दगीनामा, फर्द जब्ती ओढ़णा, नक्शा मौका व फर्द जब्ती दो सीडी का गवाह
12	नारायणराम	गिरफ्तारी व फर्द घटनास्थल तस्दीक का गवाह
13	डॉ. अरूण कुमार सोनी	चिकित्सक
14	स्वरूपसिंह	एसपी ऑफिस से अग्रेषण पत्र जारी करवाने का गवाह
15	सरे कंवर	मृतका की माता
16	शैतानसिंह	मृतका का पिता
17	ईश्वरसिंह	मृतका का चचेरा भाई
18	करमादेवी	मालखाना इंचार्ज
19	फतेहसिंह	मृतका का चचेरा भाई
20	पवनी	एफएसएल में जब्तशुदा माल जमा करवाने वाली गवाह
21	हरजीराम	गिरफ्तारी व फर्द घटनास्थल तस्दीक का गवाह
22	लता बेगड़	थानाधिकारी, जिसके द्वारा एफआईआर दर्ज की गयी
23	धनापुरी गोस्वामी	प्रथम अनुसंधान अधिकारी
24	सीमा चोपड़ा	अंतिम/मुख्य अनुसंधान अधिकारी

बचाव साक्षीगण की सूची

क्रम सं.	साक्षी का नाम	किस बाबत् साक्षी
1	प्रिया	चक्षुदर्शी साक्षी

अभियोजन की ओर से पेश प्रलेखों की सूची

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी 1/ पी.डब्ल्यू.2	पुलिस बयान सगतसिंह ।
2	प्रदर्श पी 2/ पी.डब्ल्यू.3	पुलिस बयान देवीसिंह पुत्र शोभसिंह
3	प्रदर्श पी 3/ पी.डब्ल्यू.4	लिखित रिपोर्ट
4	प्रदर्श पी 4/ पी.डब्ल्यू.4	नक्शा मौका
5	प्रदर्श पी 5/ पी.डब्ल्यू.4	फर्द जब्ती ओढ़णा
6	प्रदर्श पी 6/ पी.डब्ल्यू.4	फर्द सुरतहाल लाश मृतका पंकज कंवर
7	प्रदर्श पी 7/ पी.डब्ल्यू.4	फर्द पंचनामा लाश मृतका पंकज कंवर
8	प्रदर्श पी 8/ पी.डब्ल्यू.4	फर्द सुपुर्दगीनामा लाश मृतका पंकज कंवर
9	प्रदर्श पी 9/ पी.डब्ल्यू.4	फर्द पेशकर्ता सीडी सुरेन्द्रसिंह
10	प्रदर्श पी 10/ पी.डब्ल्यू.4	फर्द पेशकर्ता सीडी सुरेन्द्रसिंह
11	प्रदर्श पी 11/ पी.डब्ल्यू.5	पुलिस बयान सोहनलाल
12	प्रदर्श पी 11/ पी.डब्ल्यू.12	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त परमवीरसिंह
13	प्रदर्श पी 12/ पी.डब्ल्यू.6	पुलिस बयान मनोहरसिंह
14	प्रदर्श पी 12/ पी.डब्ल्यू.12	फर्द घटनास्थल तस्दीक बनिशांदेही अभियुक्त परमवीरसिंह
15	प्रदर्श पी 13/ पी.डब्ल्यू.13	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतका पंकज कंवर
16	प्रदर्श पी 14/ पी.डब्ल्यू.13	अनुसंधान अधिकारी द्वारा चिकित्सकीय टीम को मृतका पंकज कंवर की मृत्यु का कारण स्पष्ट करने बाबत् लिखा गया पत्र
17	प्रदर्श पी 15/ पी.डब्ल्यू.13	एफएसएल रिपोर्ट
18	प्रदर्श पी 16/ पी.डब्ल्यू.14	पुलिस अधीक्षक द्वारा एफएसएल विभाग को जारी अग्रेषण–पत्र
19	प्रदर्श पी 17/ पी.डब्ल्यू.14	रोड़ सर्टिफिकेट
20	प्रदर्श पी 18/ पी.डब्ल्यू.14	प्राप्ति रसीद
21	प्रदर्श पी 19/ पी.डब्ल्यू.18	थानाधिकारी द्वारा एफएसएल हेतु पुलिस अधीक्षक को जारी अग्रेषण–पत्र
22	प्रदर्श पी 20/ पी.डब्ल्यू.18	मालखाना रजिस्टर की प्रति
23	प्रदर्श पी 21/ पी.डब्ल्यू.22	प्रथम सूचना रिपोर्ट
24	प्रदर्श पी 22/ पी.डब्ल्यू.23	जब्तशुदा ओरणा को जिस कपड़े की थैली में डाला गया था, उस पर लगा चेपा
25	प्रदर्श पी 23/ पी.डब्ल्यू.24	फर्द पेश करन्दा एक सीडी द्वारा नखतसिंह
26	प्रदर्श पी 24/ पी.डब्ल्यू.24	नखतसिंह द्वारा पेश की गयी सीडी की फर्द विश्लेषण
27	प्रदर्श पी 25/ पी.डब्ल्यू.24	सीडी

28	प्रदर्श पी 26/ पी.डब्ल्यू.24	सीडी
29	प्रदर्श पी 27/ पी.डब्ल्यू.24	आरोपी नखतसिंह के मोबाईल नं. 9828164545, पवन कंवर के मोबाईल नं. 7851010950, गणपतसिंह के मोबाईल नं. 7073440099, फतेहसिंह के मोबाईल नं. 7877787288, ईश्वरसिंह के मोबाईल नं. 9610463366, शैतानसिंह के मोबाईल नं. 6377771009 की कॉल डिटेल का फर्द विश्लेषण
30	प्रदर्श पी 28/ पी.डब्ल्यू.24	आरोपी नखतसिंह के मोबाईल नं. 9828164545 की सीडीआर
31	प्रदर्श पी 29/ पी.डब्ल्यू.24	पंवन कंवर के मोबाईल नं. 7851010950 की सीडीआर
32	प्रदर्श पी 30/ पी.डब्ल्यू.24	ईश्वरसिंह के मोबाईल नं. 9610463366 की सीडीआर
33	प्रदर्श पी 31/ पी.डब्ल्यू.24	शैतानसिंह के मोबाईल नं. 6377771009 की सीडीआर
34	प्रदर्श पी 32/ पी.डब्ल्यू.24	फतेहसिंह के मोबाईल नं. 7877787288 की सीडीआर
35	प्रदर्श पी 33/ पी.डब्ल्यू.24	गणपतसिंह के मोबाईल नं. 7073440099 की सीडीआर
36	प्रदर्श पी 34/पीडब्ल्यू.24	परमवीरसिंह व पंकज कंवर का विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र

बचाव पक्ष की ओर से पेश प्रलेखों की सूची :

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श डी 1/ पी.डब्ल्यू.4	पुलिस बयान सुरेन्द्रसिंह
2	प्रदर्श डी 2/ पी.डब्ल्यू.16	पुलिस बयान शैतानसिंह
3	प्रदर्श डी 3/ पी.डब्ल्यू.15	पुलिस बयान सरे कंवर
4	प्रदर्श डी 4/ पी.डब्ल्यू.09	पुलिस बयान दुर्जनसिंह

5. अभियोजन साक्ष्य के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुये स्वयं को निर्दोष होना बताया।

6. अपर लोक अभियोजन एवं अधिवक्ता परिवादी की ओर से यह कथन किया

गया है कि प्रस्तुत मामले में पीडिता अभियुक्त की विवाहिता पत्नी थी और उनके विवाह के 07 वर्ष के भीतर ही पीडिता की मृत्यु हो गयी है। यह तथ्य प्रदर्श पी 34 व प्रदर्श पी 13 से प्रमाणित है। चूंकि अभियोजन के सभी गवाहान ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि पीडिता की मृत्यु से ठीक पूर्व अभियुक्त द्वारा उससे लगातार दहेज की माँग की जा रही थी और मारपीट भी की जाती थी। ऐसे में यह स्पष्ट है कि पीडिता की दहेज मृत्यु कारित की गयी है। न्यायालय का ध्यान पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 और फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी 07 की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि उक्त दोनों ही रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि पीडिता की मृत्यु गला घोंटने से कारित हुई है। ऐसे में धारा 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार अब यह साबित करने का भार अभियुक्त पर है कि उसके द्वारा पीडिता की दहेज मृत्यु कारित नहीं की गयी है। चूंकि गवाहान की साक्ष्य अखण्डनीय रही है और जो प्रतिरक्षा में साक्ष्य अभियुक्त की ओर से पेश की गयी है, उससे भी यह स्पष्ट है कि मृतका के साथ अभियुक्त द्वारा उसकी मृत्यु से 1–2 दिन पहले भी मारपीट की गयी थी, गवाह डी.ड 01 प्रिया, जो कि अभियुक्त व मृतका की पुत्री है, जो इस तथ्य की पुष्टि करती है। ऐसे में जहाँ स्वयं अभियुक्त के गवाह की साक्ष्य से ही यह प्रकट है कि उसके द्वारा पीडिता के साथ मारपीट की जाती थी तो इस तथ्य में कोई संशय नहीं है कि पीडिता/मृतका पंकज कंवर की दहेज हत्या कारित की गयी। साथ ही लगातार उसके साथ दहेज की माँग को लेकर मृत्यु से पूर्व तक उसे प्रताडित कर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाना भी अभियोजन की साक्ष्य से साबित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

7. अभियुक्त पक्ष की ओर से मुख्य रूप से यह प्रतिरक्षा में कथन किया गया कि मृतका पंकज कंवर के ससुराल में निवास करने वाले उनके पड़ौसियों के बयान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष दर्ज करवाये गये हैं, परन्तु वे सभी गवाहान पक्षद्रोही हैं और अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते हैं। यहाँ तक कि पीडिता के भाई सुरेन्द्रसिंह, माता सरे कंवर और पिता शैतानसिंह ने भी पीडिता के साथ दहेज की माँग किये जाने के तथ्यों की पुष्टि नहीं की है,अपितु इस बिन्दु पर इनकी साक्ष्य में विरोधाभास मौजूद है। यहाँ तक कि दहेज में क्या माँगा गया और कब–कब दहेज की माँग की गयी, यह तथ्य भी स्पष्ट नहीं किया गया। अभियुक्त और मृतका का विवाह सन् 2014 में सम्पन्न हुआ था, जबकि उसकी मृत्यु सन् 2020 में कारित हुई है, इस बीच यदि मृतका पंकज कंवर को दहेज के लिए परेशान किया गया था तो उसके द्वारा कोई मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया गया, यह स्पष्ट नहीं है। स्वयं अनुसंधान अधिकारी ने दहेज माँगे जाने के बिन्दु का समर्थन नहीं किया है। ऐसे में सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष

यह साबित करने में सफल नहीं रहा कि पीडिता के साथ दहेज की माँग की जाती रही हो और उसके साथ उसकी मृत्यु से कुछ दिन पूर्व दहेज की माँग की जाकर मारपीट की गयी हो व उसके दहेज मृत्यु कारित कर दी गयी हो तो अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है । सबूत का भार सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष पर है । प्रस्तुत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 भी स्पष्ट नहीं है, चूंकि इस संबंध में जो गवाह पी.ड 13 डॉ अरूण कुमार सोनी परीक्षित हुआ है, उसने जिरह में विरोधाभासी कथन करते हुए आत्महत्या की संभावना व्यक्त की है । अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिये जाने का निवेदन किया । अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक नजीरें प्रस्तुत कीः–

- (2025)2 Supreme Court Cases (Cri.)159: (2025)3 Supreme Court Cases 433 State of Uttarakhand Vs Sanjay Ram Tamta
- (2025)1 Supreme Court Cases (Cri.)469: (2025)1 Supreme Court Cases 398 Chabi Karmakar and Oth. Vs State Of West Bengal
- (2025)1 Supreme Court Cases (Cri.)803: (2025)2 Supreme Court Cases 815 Shoor Singh And Anr. Vs. State of Uttarakhand
- 2025(3) Cr.L.R. (Raj.) 1446 State of Raj. Vs. Jakir

8. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया, पत्रावली व विधि–व्यवस्थाओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न है:–

(1) आया अभियुक्त ने दिनांक 18.06.2020 से लगभग 06 वर्ष पूर्व परिवादी सुरेन्द्रसिंह की बहन पंकज कंवर के साथ विवाह के पश्चात् से दिनांक 17.06.2020 तक लगातार उसे दहेज बाबत् मानसिक व शारीरिक रूप से प्रपीडित कर क्रूरता की, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 17.06.2020 को दिन के 02:45 बजे या उसके लगभग किसी समय नागाणाराय नगर में स्थित अभियुक्त के मकान में पंकज कंवर का गला दबाकर उसकी मृत्यु कारित की । इस प्रकार अभियुक्त ने पंकज कंवर की "दहेज मृत्यु" कारित की ?

(2) यदि अभियुक्त के विरूद्ध अपराध आरोप सन्देह से परे सिद्ध हुए तो उपयुक्त दण्ड क्या होगा ?

9. प्रकरण में प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 में जो घटना बताई गई है, उसके अनुसार प्रकरण में मृतका पंकज कंवर को दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान कर उसकी दहेज मृत्यु कारित की गयी । इस संबंध में अभियोजन की ओर से

कुल 24 साक्षीगण परीक्षित करवाये गये हैं।

10. प्रकरण में मृतका के भाई सुरेन्द्रसिंह गवाह पी.डब्ल्यू. 04 ने अपने सशपथ बयानों के मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह कल्याणपुरा में रहता है। वे दो भाई व एक बहन थे। उसकी बहन का नाम पंकज कंवर है, जिसकी शादी दिनांक 03 फरवरी 2014 को परमवीरसिंह के साथ की थी। शादी के करीब 06 माह बाद परमवीरसिंह, नखतसिंह, पवन कंवर व गणपतसिंह ने उसकी बहन को दहेज के लिए परेशान करना शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने उससे समझाईश की तो उन्होंने बोला अब दहेज के लिए परेशान नहीं करेंगे। फिर से कुछ समय बाद फिर पंकज कंवर को दहेज के लिए परेशान करना शुरू किया। उन्होंने समझाईश की तो गणपतसिंह ने उन्हें धमकी दी कि वह पुलिस में है और दहेज नहीं दोगे तो किसी ऐसे मामले में फंसा दूंगा कि आप बाहर नहीं निकल पाओगे। फिर होली से 15–20 दिन पहले धमकियां दी तो होली से 4–5 दिन पहले वह, उसके पिता शैतानसिंह, फतेहसिंह, ईश्वरसिंह बाड़मेर इनके मकान पर आये और उन्होंने गणपतसिंह व नखतसिंह को ओलम्बा दिया तो उन्होंने कहा कि वे आगे से ऐसा नहीं करेंगे। फिर 20 मार्च को गणपतसिंह ने फोन करके उसके बड़े भाई दुर्जनसिंह को कहा कि वे पंकज को मार देंगे और वे मारने मरने से नहीं डरते और उसकी कॉल रिकॉर्ड सीडी उसने पुलिस में जमा करवा दी। दिनांक 17 जून, 2020 को सुबह 09:30 बजे उसकी बहन पंकज कंवर का फोन उसके पास आया और कहा कि परमवीरसिंह व गणपतसिंह आज उसे दहेज के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं तो उसने कहा कि वह थोड़ा बाहर है, शाम को आता हूं। फिर दिन को 02:45 मिनट पर गणपतसिंह ने उसको फोन कर कहा कि आप की बहन पंकज कंवर ने आत्महत्या कर ली है और वह वहां से उसने फतेहसिंह से बात की और उनके रिश्तेदार 8–10 लोगों के साथ नागाणाराय नगर बाड़मेर आये और वे वहां पहुंचे तो पुलिस वहां पर पहले से आई थी और उन्होंने देखा कि उनकी बहन पंकज कंवर चारपाई पर मृत पड़ी थी। पंकज कंवर को गणपतसिंह, परमवीरसिंह, नखतसिंह वगैरा ने मिलकर रस्सी से गला दबाकर मार डाला। पंकज कंवर को दहेज के लिए गणपतसिंह, परमवीरसिंह व नखतसिंह ने मारा। फिर उसने पुलिस में रिपोर्ट प्रदर्श 03 दर्ज करवायी। पुलिस मौके पर आयी थी, नक्शा मौका प्रदर्श पी 04 बनाया। पुलिस ने मौके से रस्सी जब्त की थी। सम्पति तलाशी व जब्ती प्रदर्श पी 05 है। उसकी बहन को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने पंकज कंवर की लाश का फर्द सुरतहाल लाश प्रदर्श पी 06 बनाया था। पुलिस ने लाश का पंचनामा प्रदर्श पी 07 दर्जनसिंह, देवीसिंह, जालमसिंह, हेमसिंह व रतनसिंह के रूबरू बनाया था। पुलिस ने पंकज कंवर की लाश उन्हें जरिए फर्द सुपुर्दगीनामा

प्रदर्श पी 08 के सुपुर्द की थी। उसने पुलिस को सीडी पेश की थी, जिसमें गणपतसिंह ने उसके भाई दुर्जनसिंह को फोन कर धमकी दी थी, जो फर्द प्रदर्श पी 09 है। एक और सीडी जिसमें परमवीरसिंह ने उससे बात की थी, वह पेश की थी, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 10 है तथा उक्त सीडी आर्टिकल 01 व 02 है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया कि पुलिस बयान प्रदर्श डी 01 में दिनांक 17.06.2020 को उसको उसकी बहन का फोन आने और बहन द्वारा उसे मारने के संबंध में बात नहीं लिखी हुई है । पुलिस बयान प्रदर्श डी 01 का हिस्सा ए से बी *"हमें पुरा शक है कि पंकज के पति परमवीरसिंह, सास, ससुर नखतसिंह व जेठ गणपतसिंह ने मिलकर उसे मारकर फिर फांसी का रूप दिया है । पंकज कंवर ने आत्महत्या नहीं की है, उसे मारा गया है । इनके अलावा भी इनके परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है "* उन्होंने नहीं लिखाया । उन्होंने दहेज की कोई सूची पेश नहीं की थी । उसे नहीं पता कि नखतसिंह व उसकी पत्नी घटना से करीब 02 साल पहले गांव इन्द्रोई में रहते हो । उसे नहीं पता कि नखतसिंह व उसकी पत्नी घटना से दो साल पहले कहाँ रहते हो । घटना के 05 माह पूर्व में उसकी एक बार मुलाकात परमवीरसिंह से बाड़मेर मार्केट में हुई थी । इस सुझाव को स्वीकार किया कि सुबह 09:30 से दोपहर तक उसके पास बहन का कॉल आया, इस बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया । उसकी बहन की शादी के बाद उसका इन्द्रोई गाँव में नखतसिंह के घर कभी जाने का काम नहीं पड़ा । घटना से पहले परमवीर के घर कभी–कभी आया था । इस सुझाव को अस्वीकार किया कि वह घटना के बाद एक बार ही परमवीर के बाड़मेर घर आया हो । स्वतः कथन किया कि कई बार समझाने के लिए आया था । शादी से करीब 03 साल पहले सगाई हुई थी । सगाई के समय दहेज के बारे में कोई माँग नहीं हुई थी । शादी के समय उनकी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था, कोई माँग नहीं थी । इस सुझाव को स्वीकार किया कि उनके समाज में अपनी हैसियत के अनुसार दहेज वगैरा दे देता है, कोई माँग नहीं होती है । उसके बहनोई के कोई गलत आदत, बन्दाणाी व प्रोबलम नहींथी । प्रदर्श डी 01 का हिस्सा आई से जे *"पंकज जब पहली बार पीहर आयी, तब पंकज ने हमारे को बताया कि मेरा पति परमवीरसिंह नशेडिया है, वो स्मैक पिता है"* पुलिस को नहीं लिखवाना बताया । पंचायती में नखतसिंह व गणपतसिंह ही थे, उनके भाईयों व पड़ौसियों को नहीं बुलाया । उसकी बहन ने परमवीरसिंह के नशेड़ी होने के बारे में नहीं बताया और न ही उन्होंने कभी ईलाज करवाया । उसकी बहन ने सवेरे किसी ओर के मोबाईल से फोन किया था, उस समय उसके पास कोई फोन नहीं था, वो मोबाईल किसका था, उसे पता नहीं । इस सुझाव को अस्वीकार किया कि उसकी बहन गुस्सैल

स्वभाव की हो और उन्होंने गहना देने से इन्कार किया हो और गुस्से में आकर आत्महत्या की हो ।

11. इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से परीक्षित एक अन्य गवाह पी.डब्ल्यू 16 शैतानसिंह है, जो कि मृतका पंकज कंवर का पिता है, ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया कि उसके 3 बच्चे हैं। एक लड़की थी और 2 लड़के हैं। उसके बेटे का नाम सुरेन्द्रसिंह, महेन्द्रसिंह और बेटी का नाम पंकु उर्फ पंकज कंवर था, जिसकी शादी इन्द्रोई में नखतसिंह के लड़के प्रवीणसिंह के साथ कर रखी थी। उसकी बेटी की शादी में उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। उसकी बेटी के ससुर, जेठ, सासु और पति प्रवीणसिंह दहेज के लिए उसको रोजाना कहते थे और उससे पैसों व सामान की मांग करते थे। ये बात उसे उसकी बेटी ने बताई थी। उसके बाद वे अपनी बेटी के ससुराल जाकर नखतसिंह व गणपतसिंह को ओलबा देने गए। बेटी के ससुराल में गांव के लोगों को इकट्ठा करके कहा कि इनको समझाओं कि ये उसकी बेटी को दहेज के लिए तंग परेशान करते है। उसकी बेटी के सासु, जेठ, ससुर, उसका पति प्रवीणसिंह ने दहेज के लिए मार दिया। इन चारों ने उसकी बेटी को मार दिया। यह समाचार उसे उसकी बेटी की ननद ने फोन कर दिया कि आपकी बेटी ने फांसी खा ली है। फिर वे अपनी बेटी के ससुराल गए और देखा कि उसकी पुत्री को मारकर खाट पर डाला हुआ है। उन्होंने पंकज की लाश को देखा और लाश देखकर उन्हें लगा कि उसे इन चारों ने मिलकर मारा है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि वक्त घटना जब वे बाड़मेर अपनी बेटी के घर पहुंचे, तब पुलिस वहाँ आयी हुई थी तथा उसके बाद में पुलिस मृतका की लाश उनके पहुँचने के 5–10 मिनट में सरकारी अस्पताल, बाड़मेर लेकर आ गई । इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसके बच्चे सुरेन्द्रसिंह ने घटनास्थल पर पुलिस को घटना की रिपोर्ट दी थी । नखतसिंह की पत्नी की तबीयत खराब रहती हो तो उसने नहीं सुना । इस सुझाव को स्वीकार किया कि उनके राजपूत समाज में दहेज की माँग का कोई प्रचलन नहीं है, हर आदमी अपनी हैसियत अनुसार दहेज देता है । इस सुझाव को स्वीकार किया कि सगाई के समय नखतसिंह व परिवारवालों ने दहेज की माँग नहीं की थी । उसका जंवाई नशेड़ी हो या गलत आदमी हो तो उसने नहीं सुना । उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी 02 का हिस्सा ए से बी *"पंकज जब पहली बार पीहर आयी, तब पंकज ने हमारे को बताया कि मेरा पति परमवीरसिंह नशेडिया है, वो स्मैक पीता है"* उसने पुलिस को नहीं लिखवाना जाहिर किया तथा पुलिस द्वारा अपनी मर्जी से लिखना अभिकथित किया । इस सुझाव को अस्वीकार किया कि उसके जंवाई ने दहेज की माँग नहीं की हो और उन्होंने झूठा

मुकदमा किया हो ।

12. इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से परीक्षित एक अन्य गवाह पी.डब्ल्यू 15 सरे कंवर है, जो कि मृतका पंकज कंवर की माता है, ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया कि उसके 02 लड़के व 01 लड़की हैं । उसकी लड़की का नाम पंकज कंवर था, जिसकी शादी घटना से 06 साल पहले परमवीर सिंह के साथ की हुई थी। उन्होंने पंकज कंवर की शादी के समय उनकी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। परमवीर सिंह व उसके पिता नखतसिंह दोनों जसाई में नौकरी करते थे। पंकज की शादी के बाद ये सब बाड़मेर रहने लग गए। पंकज जब ससुराल से पीहर आई तब उसको बताया कि उसका पति स्मैक पीता है और नशे में रहता है। उसके बाद पंकज ने उसे फिर कहा कि उसके ससुराल में उसका पति, जेठ, सास–ससुर उसे दहेज के लिए तंग परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं तथा कहते हैं कि तेरे को दहेज नहीं दिया। यह बात उसे उसकी बेटी जब पीहर आई तब बताई थी तथा उसका पति, पुत्र व सभी भाईयों को यह बात बताई तब उसकी पुत्री पंकज के ससुराल जाकर इस बात का ओलबा दिया। फिर कुछ दिन तक तो पंकज के ससुराल में सब ठीक चला लेकिन उसके बाद उसके ससुराल वाले उसे फिर दहेज के लिए तंग परेशान, मारपीट करने लगे। फिर उसे समाचार मिले कि उसकी पुत्री पंकज को उसके ससुराल वालों ने मार दिया है तब उसका पति व पुत्र पंकज के ससुराल गए। उसके पति व पुत्र ने पंकज के ससुराल से वापस आकर उसे बताया कि पंकज के ससुराल वालों ने पंकज को मार दिया है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया कि सगाई के समय नखतसिंह वगैरा ने दहेज की माँग नहीं की हो । दहेज की माँग को लेकर ओलम्बा देने पंकज के ससुराल कौन–कौन गये थे, उसे मालूम नहीं । उसे किसी ने नहीं बताया कि उसका जंवाई स्मैक पीता था । उसे दहेज की माँग की बात सबसे पहले सुरेन्द्रसिंह ने कही थी। इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसके पुलिस बयान में उन्होंने उनकी बेटी को क्या–क्या दहेज में दिया, यह लिखा हुआ नहीं है । इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उसने यह कभी नहीं सुना कि उसका जंवाई नशा करता है या उसकी कोई गलत आदतें हैं । प्रदर्श डी 03 उसके पुलिस बयान का हिस्सा ए से बी *"पंकज जब ससुराल से पीहर आयी, तब पंकज ने मेरे को बताया कि मेरा पति तो स्मैक पीता है तथा नशे में रहता है"* पुलिस नहीं लिखाना जाहिर किया तथा पुलिस द्वारा अपनी मर्जी से लिखना अभिकथित किया । इस सुझाव को अस्वीकार किया कि उसके जंवाई ने उससे कभी दहेज की माँग नहीं की थी और उन्होंने झूठा मुकदमा करवाया हो ।

13. इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से परीक्षित एक अन्य गवाह पी.डब्ल्यू 19

फतेहसिंह है, जो कि मृतका पंकज कंवर का चचेरा भाई है, ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया कि दिनांक 17.06.2020 की बात है। पंकज उसकी सगी चचेरी बहन है। उसकी शादी परमवीर सिंह उर्फ हैप्पी के साथ 2014 में हुई थी। शादी में उसके चाचा ने अपनी हैसियत अनुसार दहेज दिया था। शादी के 3–4 माह बाद नखतसिंह व उसका पूरा परिवार बाड़मेर नागाणाराय कॉलोनी में अपने खुद के मकान में रहने लगा। उस समय पंकज कंवर शादी के बाद जब पीहर आती थी जो 5–6 महीने में आती थी, तो उन्हें बताती थी कि ससुराल वाले उसे दहेज व पैसों, गहनों के लिए तंग करते हैं, रोज झगड़ा करते हैं, पति परमवीरसिंह, ससुर नखतसिंह, सास व काकाई जेठ गणपतसिंह ये सब दहेज के लिए तंग करते हैं और कहते हैं कि हमारी हैसियत के अनुसार आपने दहेज नहीं दिया, तुम अपने पीहर से रूपये व गहने ले आओ और पंकज को ताने मारते हैं, तंग करते हैं और कभी भी मार सकते हैं। उसके बाद उसके चाचा और चाचा का लड़का सुरेन्द्रसिंह ने पंकज के ससुराल बाड़मेर जाकर उनको थोरा नौरा किया कि बच्ची को तंग मत करो। उसके बाद एक बार पंकज के ससुराल वाले मान गए परन्तु कुछ समय बाद पंकज को वापस दहेज के लिए तंग परेशान करने लगे, झगडा करने लगे। होली से 15–20 दिन पहले सुरेन्द्रसिंह को पंकज का फोन आया कि उसका पति परमवीरसिंह, ससुर नखतसिंह, सास और काकाई जेठ गणपतसिंह उसे दहेज के लिए बहुत ज्यादा तंग कर रहे है कि तू अपने पीहर से पैसे और गहने ला नहीं तो मार भी सकते है। सुरेन्द्रसिंह ने उसे बताया कि पंकज का फोन आया और पंकज द्वारा कही गई बात बताई । सुरेन्द्रसिंह ने उसे बताया कि गणपतसिंह जो पंकज का काकाई जेठ है उसने उसे फोन पर धमकी दी कि आप हमारी हैसियत अनसुार दहेज के पैसे दो नहीं तो हम पंकज को मार सकते हैं, मैं पुलिस में हूं, आपको फंसा सकता हूं। फिर वह, उसका चाचा शैतानसिंह, सुरेन्द्रसिंह और ईश्वरसिंह चारों पंकज के ससुराल बाड़मेर आये। फिर उन्होंने पंकज के ससुराल वालों को समझाया और ओलंबा दिया कि पंकज को तंग मत करो, उसके साथ मारपीट मत करो। एक बार तो उन्होंने धमकियां दी, माने नहीं और कहा कि आपने हमारी हैसियत अनुसार दहेज नहीं दिया। फिर ज्यादा समझाईश की, थोरे नोरे किये तो वो मान गए कि अब पंकज को परेशान नहीं करेगे। उस समय नखतसिंह, गणपतसिंह, परमवीरसिंह और पंकज की सास वहां मौजूद थे। सुरेन्द्रसिंह का दिनांक 17.06.2020 को करीब 03 बजे वह मेडिकल पर था, उस समय फोन आया और उसने उसे बताया कि गणपतसिंह का फोन आया है कि पंकज ने आत्महत्या कर ली है। फिर वे सुरेन्द्रसिंह के साथ पंकज के ससुराल बाड़मेर आये, और पंकज के घर पर उसके मकान के उपर वाले कमरे की चारपाई पर पंकज की लाश पड़ी

थी, पास में एक बाल्टी थी। उस समय वहां पुलिस मौजूद थी। गणपतसिंह भी वहां मौजूद था। लाश को देखकर उन्हें यह लगा कि पंकज को पंकज की सास, नखतसिंह, परमवीरसिंह पति व गणपतसिंह आदि ने मिलकर जान से मार दिया है। उससे पहले गणपतसिंह ने उसके भाई दुर्जनसिंह को फोन कर धमकी दी कि आपने दहेज नहीं दिया है, पंकज के साथ हम किसी भी हद तक जा सकते है। सुरेन्द्रसिंह ने पुलिस को एक सीडी सुपुर्द की थी, उस समय वह साथ था, जो फर्द सीडी प्रदर्श पी 09 है । बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया कि पंकज की सगाई के वक्त उसके ससुराल वालों ने उसके चाचा से दहेज की माँग नहीं की थी, स्वतः कथन किया क माँग की हो तो उसके चाचा को मालुम है, उसे नहीं पता । इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसका अपनी बहन के ससुराल आने का काम कभी नहीं पड़ा । इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसके चचेरे भाई सुरेन्द्रसिंह द्वारा उसे फोन पर घटना के संबंध में एवं पहले उसके बहन को परेशान करने पर बताया गया था । उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि घटना से 06 महीने पहले पंकज उसके चाचा के यहाँ आयी हो और अपनी अंगुठियां और मंगलसुत्र चाचा के यहाँ रखे हो । इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसकी बहन से दहेज की माँग की जानकारी उसे सुरेन्द्रसिंह ने बतायी थी । उसका बहनोई परमवीरसिंह अगर नशा करता हो या कोई गलत आदत हो तो उसने नहीं सुना । इस सुझाव को अस्वीकार किया क उसकी बहन गुस्सैल स्वभाव की हो, उसने आत्महत्या की हो और उसके द्वारा, उसके चाचा व उसके चचेरे भाईयों द्वारा परमवीरसिंह के खिलाफ गलत व झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया हो ।

14. इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से परीक्षित एक अन्य गवाह पी.डब्ल्यू 09 दुर्जनसिंह है, जो कि मृतका पंकज कंवर का चचेरा भाई है, ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया कि शैतानसिंह उसके चाचा है। पंकज उसके चाचा की लड़की है, जिसकी शादी परमवीरसिंह उर्फ हैप्पी के साथ हुई थी। परमवीरसिंह एमईएस जसाई में नौकरी करता था। उसके बाद पंकज कंवर के पति परमवीरसिंह, उसके जेठ गणपत, उसकी सास व नखतसिंह दहेज के लिए तंग व परेशान करते थे तथा उसके साथ मारपीट करते थे। पंकज से वे लोग गहने व रूपये लाने के लिए मांग करते थे। उक्त बात पंकज ने उन्हें बतायी तो उन्होंने इस बात की पंचायती करवाकर समझाईश करवायी। फिर भी वो लोग नहीं माने। समझाईश करने के बाद कुछ दिन ठीक ठाक चला, फिर दहेज के लिए तंग व परेशान करने लगे। गणपतसिंह ने पहले फोन करके दिनांक 20.03.2020 को धमकी दी कि वे पंकज को मार देंगे व उसके चरित्र पर गालियां निकाली और मारने की धमकी दी। दिनांक 17.06.2020 को गणपतसिंह का फोन उसके पास आया और

बताया कि तुम्हारी बहन ने फांसी खाकर आत्महत्या कर ली है। उसके बाद उसने पंकज कंवर के भाई सुरेन्द्रसिंह को सूचना देने के लिए गणपतसिंह को कहा। गणपतसिंह ने उसने पूछा कि आप कहां पर हो तो उसने कहा कि वह मौके पर है। फिर वे परिवार वालों के साथ पंकज कंवर के ससुराल मौके पर गये थे, तब पंकज कंवर उपरी मंजिल पर बैठक रूम में चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ी थी, पुलिस मौके पर आयी हुई थी। मुलजिम परमवीरसिंह व उसकी बहन के सास–ससुर, जेठ गणपतसिंह ने दहेज के लिए सबने मिलकर गला दबाकर मार दिया। पुलिस ने उसके व जालमसिहं के रूबरू मृतका पंकज कंवर की लाश के पास से एक ओरणा गाजरी रंग का वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया था, जो फर्द प्रदर्श पी 05 है। फर्द सुरतहाल लाश मृतका प्रदर्श पी 06 है। फर्द पंचनामा मृतका प्रदर्श पी 07 है। फर्द सुपुर्दगीनामा लाश प्रदर्श पी 08 है। फर्द पेशकर्ता सीडी सुरेन्द्रसिंह पुत्र शैतानसिंह प्रदर्श पी 09 व 10 है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया कि सगाई की रस्म के दौरान परमवीरसिंह व उसके परिवार की ओर से दहेज की माँग नहीं की गयी हो । उसने पुलिस बयान प्रदर्श डी 04 में सगाई की रस्म के दौरान दहेज की माँग की बात बतायी थी, लेकिन पुलिस ने क्यों नहीं लिखी, उसे पता नहीं । उसे इस घटना की जानकारी पंकज के काकाई जेठ कानिस्टेबल गणपतसिंह द्वारा दी गयी । गवाह ने स्वतः कथन किया कि गणपतसिंह ने फोन पर पंकज को मारने की धमकी उसे दी थी । उसको पंकज से दहेज की माँग का सुरेन्द्रसिंह ने बताया था और शैतानसिंह व महेन्द्रसिंह भी कहते थे । स्वतः कथन किया कि पकंज भी कहती थी । वह व पंकज के परिवार वालों द्वारा पंकज के ससुराल उसको परेशान करने पर ओलम्बा देने गये थे, वे दो बार गये थे। इस सुझाव को स्वीकार किया कि वे जब पहली बार व दूसरी बार ओलम्बा देने गये, तब पंकज को परेशान करने को लेकर उसे द्वारा व पंकज के परिवार वालों द्वारा थाने में दोनों समय रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी थी । वह जब भी परमवीरसिंह से मिलता, तब उसने पंकज को परेशान नहीं करने के लिए खूब समझाया था । इस सुझाव को अस्वीकार किया कि उसके व पंकज के पिता द्वारा परमवीरसिंह के खिलाफ दहेज को लेकर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया हो । इस सुझाव को भी अस्वीकार किया कि पंकज की मानसिक स्थिति सही नहीं हो तथा पंकज का चाल चरित्र ठीक नहीं हो । इस सुझाव को भी अस्वीकार किया कि पंकज की मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो और उसने स्वयं ने फांसी लगायी हो ।

15. इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से परीक्षित एक अन्य गवाह पी.डब्ल्यू 17 ईश्वरसिंह है, जो कि मृतका पंकज कंवर का चचेरा भाई है, ने अपने सशपथ बयानों में

कथन किया कि साक्ष्य दिवस से करीब 4 साल पहले की बात है। मृतका पंकज उसकी चचेरी बहन लगती है। पंकज की शादी घटना से 5–6 साल पहले परमवीरसिंह उर्फ हैप्पी के साथ हुई थी। शादी के बाद पंकज ससुराल वालों के साथ इन्द्रोई में रही व उसके बाद पंकज अपने ससुराल वालों के साथ बाड़मेर आकर रहने लगी। जहां उसके सास, ससुर व गणपतसिंह पंकज को तंग परेशान करने लगे। मुलजिम परमवीरसिंह भी पंकज को परेशान करता था और मारपीट करता था जो उसने देखा था। वह जब 2–3 दिन पंकज के ससुराल रहा तब उसने देखा था कि मुलजिम पंकज के साथ मारपीट करता था। इस बात की उसने व पंकज के पीहर वालों ने समझाईश की थी, तब पंकज के ससुराल वालों ने कहा कि आयन्दा से हम कुछ नहीं करेंगें। उसके बाद वह घर आ गया। कुछ समय बाद सुरेन्द्र सिंह ने फोन कर बताया कि पंकज खत्म हो गई है। उसके बाद वह बाड़मेर नखतसिंह के घर पर आया। वहां देखा कि घर के उपर वाले कमरे में खाट पर पंकज की लाश पड़ी हुई थी। उनके घर वाले भी साथ में थे। पंकज के घर वालों ने बताया कि उसने फांसी खा ली है। उसे यह लगा कि पंकज की हत्या हुई है। पंकज के ससुराल वालों ने बताया था कि पंकज ने फांसी खा ली है, परन्तु उन सबको लगा कि पंकज की हत्या हुई है। उन्हें यह लगा कि पंकज के ससुराल वालों ने उसकी हत्या की है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया कि पंकज का पति नशा वगैरा करता हो या कोई गलत आदत हो तो उसे पता नहीं । इस सुझाव को स्वीकार किया कि पंकज के ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी । पंचायती के समय पंकज के ससुराल से उसके सास, ससुर व जेठ आये हुए थे, इनके अलावा इनके साथ और कौन थे, वह नहीं जानता । उसकी बहन को परेशान करने की बात को लेकर उसके द्वारा, शैतानसिंह द्वारा या सुरेन्द्रसिंह द्वारा कोई रिपोर्ट थाने में नहीं दी गयी । उसे नहीं पता कि इस बात को लेकर इन्द्रोई गांव में कोई पंचायती हुई हो । इस सुझाव को अस्वीकार किया कि वह आज न्यायालय में झूठे बयान दे रहा हो और वह परमवीरसिंह को फंसाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो और उसके ससुराल वालों के द्वारा उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गयी हो ।

16. अभियोजन की ओर से परीक्षित थानाधिकारी पी.डब्ल्यू 22 लता बेगड़, जिसके द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया था तथा आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया था, ने कथन किया कि वह दिनांक 08.06.2020 को पीएस महिला बाड़मेर में थानाधिकारी की पर पर पदस्थापित थी। उस रोज प्रार्थी द्वारा सुरेन्द्रसिंह द्वारा एक लिखित रिपोर्ट उसके रूबरू प्रस्तुत की गई, जिस पर उसने उक्त रिपोर्ट जुर्म धारा 498 ए, 323, 304 बी सपठित धारा 34 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर प्रकरण संख्या

147/2020 उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की जांच धन्नापुरी उपाधीक्षक महिला अपराध अन्वेषण सैल बाड़मेर को अनुसंधान हेतु सुपुर्द की। रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 है। उक्त दर्ज प्रकरण की पर्चा चाक एफआईआर प्रदर्श पी 21 है। अनुसंधान पूर्ण होने के बाद पत्रावली उसे प्राप्त हुई, जिस पर उसके द्वारा मुलजिम परमवीर सिंह उर्फ हैप्पी के खिलाफ जुर्म धारा 498ए, 304बी आईपीसी में चार्जशीट न्यायालय में पेश किया गया। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह ने स्वीकार किया कि प्रकरण संख्या 147/2020 में प्रकरण दर्ज करने के बाद किसी प्रकार का कोई अनुसंधान नहीं किया गया व न ही उसके द्वारा घटनास्थल पर जाकर कोई निरीक्षण किया गया । उसके द्वारा उक्त पत्रावली में किसी गवाह के बयान नहीं लिये गये ।

17. अभियोजन की ओर से परीक्षित प्रकरण का प्रथम अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 23 धनापुरी गोस्वामी ने कथन किया कि वह दिनांक 18.06.2020 को उपाधीक्षक पुलिस पद पर महिला अन्वेषण सेल बाड़मेर में पदस्थापित था। उस रोज प्रार्थी सुरेन्द्रसिंह द्वारा एक रिपोर्ट पुलिस थाना महिला, बाड़मेर में प्रस्तुत की गयी, जिस पर थानाधिकारी महिला द्वारा प्रकरण संख्या 147/2020 अंतर्गत धारा 498ए, 323, 304बी/34 भादसं में दर्ज किया। उक्त प्रकरण अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त हुआ, जिस पर उसके द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 18.06.2020 को मोर्चरी रूम राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में पहुंचकर मृतका पंकज कंवर की फर्द सुरतहाल लाश प्रदर्श पी 06 रूबरू मौतबीरान दुर्जनसिंह, जालमसिंह व परिवादी सुरेन्द्रसिंह के रूबरू मुर्तिब की। उसी रोज उसके द्वारा मृतका पंकज कंवर की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी 07 पंच मुकर्रर कर रूबरू परिवादी एव पंचान दुर्जनसिंह, जालमसिंह, देवीसिंह, हेमसिंह व रतनसिंह के कायम किया। मुकर्रर पंचान से उसके द्वारा पंकज कंवर की मृत्यु के बारे में राय जाननी चाही तो सभी पंचान ने एक राय होकर बताया कि पंकज की मृत्यु उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए मारकर फांसी पर लटकाना बताया। लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया। उसके पश्चात् मृतका की लाश उसके भाई सुरेन्द्रसिंह को जरिए फर्द सुपुर्दगीनामा प्रदर्श पी 08 रूबरू मौतबीरान जालमसिंह व दुर्जनसिंह सुपुर्द की थी। वक्त पोस्टमार्टम मृतका पंकज कंवर की लाश से एक गाजरी रंग का ओरणा, पीले रंग की डोरी से पीकू किया हुआ, फांसी के फंदे में प्रयुक्त होने से रूबरू मौतबीरान कब्जा पुलिस लिया जाकर, सफेद कपड़े की थैली में डालकर मार्क ए अंकित किया, जो फर्द जब्ती प्रदर्श पी 05 है। अनुसंधान के दौरान मृतका पंकज कंवर की लाश से मोर्चरी रूम बाड़मेर से जब्त किया गया ओरणा आर्टिकल 01 है। आर्टिकल पर लगा चेपा प्रदर्श पी 22 है। दौराने अनुसंधान वह दिनांक 30.06.2020 को सेवानिवृत्त होने

से प्रकरण संख्या 147/2020 की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु श्रीमती सीमा चोपड़ा को सुपुर्द की थी। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 04 में प्लास्टिक की रस्सी को जब्त करना बताया गया है, जबकि इस प्रकरण में उसके द्वारा किसी प्रकार की प्लास्टिक की रस्सी जब्त नहीं की गयी ।

18. अभियोजन की ओर से परीक्षित प्रकरण का मुख्य अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू 24 सीमा चोपड़ा ने कथन किया कि वह दिनांक 30.06.2020 को महिला अत्याचार अनुसंधान सैल बाड़मेर में उपाधीक्षक पुलिस के पद पर पदस्थापित थी। उस रोज प्रकरण संख्या 147/2020 पुलिस थाना महिला, बाड़मेर की पत्रावली का अवलोकन कर उसके द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया। दौराने अनुसंधान नक्शा मौका जोकि पूर्व अनुसंधान अधिकारी श्री धनापुरी गोस्वामी ने देखा था, जोकि प्रदर्श पी 04 है, जिसको उसने दिनांक 07.07.2020 को सत्यापित किया। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा गवाहान सुरेन्द्रसिंह, शैतानसिंह, सिरे कंवर, फतेहसिंह, ईश्वरसिंह, दुर्जनसिंह, सोहनलाल, मनोहरसिंह, कंचन कंवर, सुरज कंवर, देवीसिंह, अनिल शर्मा, करमादेवी, पवनी, स्वरूपसिंह के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। दौराने अनुसंधान पेशकर्ता नखतसिंह द्वारा सीडी पेश की गयी, जिसकी फर्द विश्लेषण प्रदर्श पी 23 व 24 है। सुरेन्द्रसिंह द्वारा दो सीडी पेश की गयी, जिनको उसके द्वारा शामिल पत्रावली किया गया, जो सीडी प्रदर्श पी 25 व 26 है। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा कथित आरोपी नखतसिंह के मोबाईल नं. 9828164545, पवन कंवर के मोबाईल नं. 7851010950, गणपतसिंह के मोबाईल नं. 7073440099, फतेहसिंह के मोबाईल नं. 7877787288, ईश्वरसिंह के मोबाईल नं. 9610463366, शैतानसिंह के मोबाईल नं. 6377771009 की संबंधित कंपनी से सीडीआर व कॉल डिटेल मंगवाकर विश्लेषण किया, जिसकी फर्द विश्लेषण प्रदर्श पी 27 है। आरोपी नखतसिंह के मोबाईल नं. 9828164545 की सीडीआर प्रदर्श पी 28 है। पंवन कंवर के मोबाईल नं. 7851010950 की सीडीआर प्रदर्श पी 29 है। ईश्वरसिंह के मोबाईल नं. 9610463366 की सीडीआर प्रदर्श पी 30 है। शैतानसिंह के मोबाईल नं. 6377771009 की सीडीआर प्रदर्श पी 31 है। फतेहसिंह के मोबाईल नं. 7877787288 की सीडीआर प्रदर्श पी 32 है। गणपतसिंह के मोबाईल नं. 7073440099 की सीडीआर प्रदर्श पी 33 है। उक्त सभी सीडीआर को उसके द्वारा शामिल पत्रावली किया गया। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा प्रकरण संख्या 147/2020 में मृतका के मृत्यु के कारण का स्पष्टीकरण देने बाबत् चिकित्सा अधिकारी को तहरीर

जारी की, जो प्रदर्श पी 14 है। मृतका व मुलजिम परमवीरसिंह का विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी 34 है, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी 34ए है। गवाहान के बयान व संकलित साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम परमवीरसिंह उर्फ हैप्पी के विरूद्ध अंतर्गत धारा 498ए, 304बी भादसं का अपराध प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त परमवीरसिंह उर्फ हैप्पी को रूबरू मौतबीरान जरिए फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 11 के गिरफ्तार किया गया। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि गवाह कंचन कंवर, सुरजकंवर, पंकजकंवर पत्नी देवीसिंह, अनील शर्मा के धारा 161 सीआरपीसी के बयानों में परमवीरसिंह द्वारा पंकज कंवर को दहेज के लिए परेशान करने की बात नहीं आयी । इस सुझाव को स्वीकार किया कि इस घटना से पहले मृतका को परमवीर या उसके परिवार की ओर से दहेज के लिए परेशान करते हो और मृतका के पिताजी की ओर से पंचायती करके परमवीर व उसके परिवार को समझाईश की हो, ऐसा कोई तथ्य उसके अनुसंधान में नहीं आया । इस सुझाव को स्वीकार किया कि गवाह सोहनलाल द्वारा यह बयान कलमबद्ध करवाए गए थे कि मृतका ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया हुआ था और दरवाजा तोड़कर परमवीर अंदर गया था । इस सुझाव को स्वीकार किया कि परमवीरसिंह स्मैक के नशे का आदी होने के कारण मृतका को स्मैक के सेवन के लिए रूपयों के लिए परेशान करता था । स्वतः कथन किया कि इस कारण से घर में क्लेश रहती थी । इस सुझाव को स्वीकार किया कि परमवीरसिंह द्वारा मृतका से या मृतका के पिता से दहेज की मांग नहीं की गयी । स्वतः कथन किया कि स्मैक का आदी होने के कारण गहनों को चुरा लेना, गहनों को गिरवी रखना व रूपयों की माँग करता था ।

19. अभियोजन की ओर से परीक्षित पंचनामा का गवाह पी.डब्ल्यू 07 रतनसिंह ने कथन किया कि दिनांक 18.06.2020 को पुलिस ने मृतका पंकज कंवर पत्नी परमवीरसिंह की लाश का पंचनामा मोर्चरी में उसके व रूबरू पंचात दुर्जनसिंह, जालमसिंह, देवीसिंह व हेमसिंह के तैयार किया था, जो प्रदर्श पी 07 है। उन्होंने पुलिस के पुछने पर राय दी थी कि पंकज कंवर को उसके ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग के लिए मारकर लटकाया था। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में उक्त गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह किसी भी संबंधित मेडिकल राय देने बाबत् विशेषज्ञ नहीं है । इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह परिवादी पक्ष का रिश्तेदार है । इस सुझाव को अस्वीकार किया कि पंकज अपने–आप मरी या मारा, अंतर वह नहीं समझता हो । इस सुझाव को स्वीकार किया कि फर्द पंचनामा पर जो गवाह हैं, वो परिवादी के रिश्तेदार है । मौके के आसपास आबाद बस्तियां नागाणाराय नगर के रूप में

बसी हुई है । मौके पर पड़ौसी लोग भी उपस्थित थे ।

20. अभियोजन की ओर से परीक्षित पंचनामा का गवाह पी.डब्ल्यू 08 हेमसिंह उर्फ हेमेन्द्रसिंह ने कथन किया कि दिनांक 18.06.2020 को पुलिस ने मृतका पंकज कंवर पत्नी परमवीरसिंह की लाश का पंचनामा मोर्चरी में उसके व रूबरू पंचात दुर्जनसिंह, जालमसिंह, देवीसिंह व रतनसिंह के तैयार किया था, जो प्रदर्श पी 07 है। उन्होंने पुलिस के पुछने पर राय दी थी कि पंकज कंवर को उसके ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग के लिए मारकर लटकाया था। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में उक्त गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह किसी भी संबंधित मेडिकल राय देने बाबत् विशेषज्ञ नहीं है । इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह परिवादी पक्ष का रिश्तेदार है । इस सुझाव को अस्वीकार किया कि पंकज अपने–आप मरी या मारा, अंतर वह नहीं समझता हो । इस सुझाव को स्वीकार किया कि फर्द पंचनामा पर जो गवाह हैं, वो परिवादी के रिश्तेदार है । मौके के आसपास आबाद बस्तियां नागाणाराय नगर के रूप में बसी हुई है । मौके पर पड़ौसी लोग भी उपस्थित थे ।

21. अभियोजन की ओर से परीक्षित पंचनामा व नक्शा मौका का गवाह पी.डब्ल्यू 10 देवीसिंह पुत्र कमलसिंह ने कथन किया कि दिनांक 18.06.2020 को उसके, जालमसिंह, दुर्जनसिंह, हेमसिंह व रतनसिंह के रूबरू पंकज कंवर की लाश का मोर्चरी रूम राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में फर्द पंचनामा प्रदर्श पी 07 पुलिस ने बनाया था। उन्होंने पंकज कंवर की मौत का कारण दहेज के लिए मारकर फांसी के फंदे पर लटकाना बताया था। पुलिस ने उसी रोज घटनास्थल का मौका मुआयना कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 04 बनाया था। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में उक्त गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह परिवादी पक्ष का रिश्तेदार है और उन्हीं के कहने से आया है । गवाह ने कथन किया कि पंकज कंवर उसके चाचा की बहन लगती है । इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह मेडिकल की राय देने का विशेषज्ञ नहीं है । इस सुझाव को अस्वीकार किया कि वह पंकज कंवर के पीहर पक्ष का होने से मुलजिम के खिलाफ झूठे बयान दे रहा हो ।

22. अभियोजन की ओर से परीक्षित पंचनामा, सुरतहाल, सुपुर्दगीनामा, फर्द जब्ती ओढ़णा, नक्शा मौका व फर्द जब्ती दो सीडी का गवाह पी.डब्ल्यू 11 जालमसिंह ने कथन किया कि दिनांक 18.06.2020 को उसके, देवीसिंह, दुर्जनसिंह, हेमसिंह व रतनसिंह के रूबरू पंकज कंवर की लाश का मोर्चरी रूम राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में फर्द पंचनामा प्रदर्श पी 07 पुलिस ने बनाया था। उन्होंने पंकज कंवर की मौत का

कारण दहेज के लिए मारकर फांसी के फंदे पर लटकाना बताया था। फर्द सुरतहाल लाश पंकज कंवर प्रदर्श पी 06 है। पुलिस ने बाद पोस्टमार्टम एवं आवश्यक कार्यवाही के पंकज कंवर की लाश पंकज कंवर के भाई सुरेन्द्रसिंह को जरिए फर्द सुपुर्दगीनामा प्रदर्श पी 08 के सुपुर्द की थी। पुलिस ने मृतक पंकज कंवर के पहना गाजरी रंग का ओढ़णा जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी 05 के उनके रूबरू जब्त किया थ। पुलिस ने उसी रोज घटनास्थल का मौका मुआयना कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 04 बनाया था। सुरेन्द्रसिंह ने दो सीडी पुलिस को जरिए फर्द प्रदर्श पी 09 व 10 पेश की थी। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह परिवादी पक्ष का रिश्तेदार है और उन्हीं के कहने से आया है । गवाह ने कथन किया कि पंकज कंवर उसके चाचा की बहन लगती है । इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह मेडिकल की राय देने का विशेषज्ञ नहीं है । इस सुझाव को अस्वीकार किया कि वह पंकज कंवर के पीहर पक्ष का होने से मुलजिम के खिलाफ झूठे बयान दे रहा हो । इस सुझाव को स्वीकार किया कि ओढ़णा व सीडी आज न्यायालय में उसके रूबरू नहीं है । सीडी को उसने चलाकर देखी थी, जो ऑडियो सीडी थी, सीडी दुर्जनसिंह ने बनायी थी ।

23. अभियोजन की ओर से परीक्षित फर्द गिरफ्तारी व फर्द घटनास्थल तस्दीक का गवाह पी.डब्ल्यू 12 नारायणराम ने कथन किया कि दिनांक 14.07.2020 को वह पुलिस थाना महिला में कानि. के पद पर तैनात था। उस रोज प्रकरण संख्या 147/2020 अंतर्गत धारा 498ए, 304बी भादसं में अनुसंधान अधिकारी सीमा चोपड़ा ने मुलजिम परमवीरसिंह को जरिए फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 11 के उसके रूबरू गिरफ्तार किया था। अनुसंधान अधिकारी ने गिरफ्तारशुदा मुलजिम परमवीरसिंह की निशांदेही से घटनास्थल तस्दीक कर फर्द घटनास्थल तस्दीक प्रदर्श पी 12 बनायी थी। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 11 व 12 में दोनों मौतबीर पुलिसकर्मी है । इस सुझाव को अस्वीकार किया कि वह अनुसंधान अधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी होने से घटनास्थल पर नहीं गया हो और थाने पर ही हस्ताक्षर किये हों ।

24. अभियोजन की ओर से परीक्षित फर्द गिरफ्तारी व फर्द घटनास्थल तस्दीक का गवाह पी.डब्ल्यू 21 हरजीराम ने कथन किया कि वह दिनांक 14.07.2020 को पुलिस लाईन बाड़मेर में कानि. के पद पर तैनात था तथा ड्युटी में महिला अपराध अन्वेषण सैल, बाड़मेर के कार्यालय में उपस्थित था। उस रोज प्रकरण संख्या 147/2020 में आईओ सीमा चोपड़ा ने उसके व नारायणराम के रूबरू मुलजिम परमवीर सिंह उर्फ हैप्पी को जरिए फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 11 गिरफ्तार किया था। बाद गिरफ्तारी

गिरफ्तरशुदा मुलजिम की निशांदेही से उसके व नारायणराम के रूबरू आईओ ने घटनास्थल तस्दीक कर फर्द मुर्तिब की थी, जो प्रदर्श पी 12 है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि आईओ द्वारा स्वतंत्र मौतबीर हेतु कोई प्रयास किये गये हो तो उसका अंकन फर्द में नहीं है । इस सुझाव को अस्वीकार किया कि प्रदर्श पी 12 की कार्यवाही उन्होंने थाने में बैठकर की हो, बल्कि मौके पर जाकर की थी ।

25. अभियोजन की ओर से परीक्षित चिकित्सकीय साक्षी पी.डब्ल्यू 13 डॉ. अरूण कुमार सोनी ने कथन किया कि वह दिनांक 18.06.2020 को राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में एमओ पद पर कार्यरत था। उस रोज वृताधिकारी बाड़मेर धनापुरी गोस्वामी की तहरीर पर मृतका पंकज कंवर का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड उसके व डॉ नेमीचन्द गर्ग द्वारा किया गया एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 तैयार की गई। प्रदर्श पी 13 पर ई से एफ वक्त पोस्टमार्टम मृतका के शारीरिक परीक्षण की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार मृतका के गले पर लीगेचर मार्क (फंदे का निशान) पाया गया, जिसकी लम्बाई 10 सेमी और चैड़ाई 01 सेमी पाई गई। लीगेचर मार्क गले के सामने की तरफ समानान्तर स्थिति में था और बांई तरफ हल्का सा तिरछी स्थिति में था। गले के पीछे की तरफ कोई भी लीगेचर मार्क नहीं पाया गया एवं गले में गांठ का निशान नहीं पाया गया और कोई गले में या शरीर पर कोई भी चोट नहीं पाई गई। मृतका की श्वास की नली एवं हायोड बॉन में कोई फेक्चर अथवा चोट नहीं पाई गई थी। गले के अन्दर खून का जमाव था। मृतका के फेंफड़े कन्जस्टेड पाए गए एवं हृदय में बांई तरफ खाली पाया गया तथा दाहिनी तरफ खून पाया गया। मृतका के लीवर, किडनी व तिल्ली कन्जस्टेड पाए गए। मृतका के जननांग एवं शरीर के अन्य अंग स्वस्थ पाए गए। दौराने पोस्टमार्टम मृतका के शरीर से तीन सैम्पल लिए गए:– 01. हृदय, फेफड़े, किडनी, लीवर व तिल्ली का टुकड़ा। 02. पेट एवं पेट में मौजूद मटेरियल। 03. खून। यह सभी सैम्पल सीलबन्द कर पुलिस को एफएसएल हेतु सुपुर्द किए गए। मृतका के पोस्टमार्टम दिनांक 18.06.2020 को दोपहर 2 बजे किया गया एवं मृतका की मृत्यु की अवधि 12 से 36 घण्टे के भीतर की थी। मृतका के मृत्यु के कारण की अन्तिम राय मेडिकल बोर्ड के अनुसार मृतका पंकज कंवर की मृत्यु गले में लगे लीगेचर के दबाव के कारण दम घुटने से हुई थी। बाद पोस्टमार्टम दिनांक 11.07.2020 को पुलिस अधीक्षक द्वारा मांगे गए कारण के बारे में यह लिखा गया कि श्रीमती पंकज कंवर पत्नी परमवीरसिंह की मृत्यु गले पर रस्सी से दबाव के कारण हुई है एवं फांसी का फंदा लगने से नहीं हुई है गले पर दबाव के कारण उसकी मृत्यु हुई है। उक्त रिपोर्ट प्रदर्श पी 14 है, जिस पर ए से बी उसके व ई से एफ डॉ

नेमीचन्द के हस्ताक्षर है एवं सी से डी मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई राय है। मृतका की एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 15 है, जिसके अनुसार मृतका के शरीर से लिए गए सैम्पल में किसी भी प्रकार का जहर, एल्कोहोल या अन्य नींद की, नशे की गोलियां नहीं पाई गई। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि अगर कोई व्यक्ति किसी का रस्सी से गला घोंटकर मारने की कोशिश करें तो शरीर पर, गले पर विरोध के निशान, नाखून के निशान, हाथों की अंगूलियों के निशान होना संभव है। इस सुझाव को स्वीकार किया कि मृतका के शरीर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर गले पर रस्सी के निशान के अलावा शरीर के अन्य किसी भी भाग पर कोई भी चोट का निशान नहीं पाया गया। इस सुझाव को स्वीकार किया कि दबाव द्वारा गला घोंटने से उसकी श्वांस की नली में फेक्चर या चोट आना संभव है एवं हायोड (Hoyid bon) में चोट या फेक्चर आना संभव है। इस सुझाव को स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 13 में मृतका के श्वांस नली व हायोड बॉन में कोई भी फेक्चर और चोट नहीं पाई गई। इस सुझाव को स्वीकार किया कि मृतका के एफएसएल रिपोर्ट में कोई भी तरह का जहर या नींद की दवा या एल्कोहोल नहीं पाया गया था एवं इस सुझाव को स्वीकार किया कि पूर्णतया जागृत अवस्था में मृतका का गला दबाने पर विरोध स्वरूप शरीर पर निशान आना संभव है। इस सुझाव को स्वीकार किया कि मृतका के नाखून में चमड़ी, खून और कपड़े के निशान नहीं पाए गए। इस सुझाव को स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 14 में पुलिस द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण में मेडिकल बोर्ड की यह राय थी कि मृतका पंकज कंवर की मृत्यु गले पर लगे दबाव के कारण हुई, चूंकि गले के पीछे फंदे की गांठ एवं फंदे के निशान नहीं पाए गए इसलिए ऐसा रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि फांसी के फंदे से मृत्यु नहीं हुई है। इस सुझाव को स्वीकार किया कि कई परिस्थितियों में फंदे पर लगी गांठ बालों पर आ जाने से उसके निशान गर्दन पर नहीं पाए जाते। इस सुझाव को स्वीकार किया कि इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि मृतका की मृत्यु फांसी के फंदे से हुई हो।

26. अभियोजन की ओर से परीक्षित मालखाना इंचार्ज पी.डब्ल्यू 18 करमादेवी ने कथन किया कि वह दिनांक 22.07.2020 को पीएस महिला थाना बाड़मेर में हैड कानि. के पद पर तैनात थी। उस रोज थाना हाजा पर वह मालखाना प्रभारी थी। उस समय प्रकरण संख्या 147/2020 में मृतका पंकज कंवर के चिकित्सकों द्वारा सीलबंद जार मार्क ए, बी, सी व आईओ द्वारा जब्त मार्क ए को एफएसएल परीक्षण हेतु थाना हाजा के मालखाना से निकालकर जरिये अग्रेषण पत्र व रोड़ सर्टिफिकेट महिला कानि. पवनी को सुपुर्द किये थे। पवनी ने उक्त सैम्पल क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर

में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद लाकर उसे पेश की, जो उसने आईओ को दी थी। प्रकरण में जब्तशुदा सीलबंद जार जब तक उसके पास रहे, सही सलामत व सुरक्षित हालत में रहे। पुलिस थाना महिला का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 19 है, रोड़ सर्टिफिकेट संख्या 68 प्रदर्श पी 17 है, प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 18 है। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 20 है जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी 20ए है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि मृतका के जो सैम्पल लिये गये थे, वो कितनी तारीख को लिये गये थे, वह नहीं बता सकती । इस सुझाव को स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 19 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है । इस सुझाव को स्वीकार किया कि मृतका के जो सैम्पल दिनांक 18.06.2020 को लिए गए थे और एफएसएल में दिनांक 22.07.2020 को भेजे गए थे । इस सुझाव को अस्वीकार किया कि जो जार थे, वो सीलबंद हालात में नहीं थे ।

27. अभियोजन की ओर से परीक्षित एफएसएल में जब्तशुदा प्रादर्श जमा करवाने वाली गवाह पी.डब्ल्यू 20 पवनी ने कथन किया किदिनांक 22.07.2020 को पीएस महिला थाना बाड़मेर में महिला कानि. के पद पर तैनात थी। उस रोज प्रकरण संख्या 147/2020 में मृतका पंकज कंवर के चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिये गए विसराज सीलबंद जार मार्क ए, बी, सी व आईओ द्वारा जब्त ओरणा मार्क ए को वास्ते परीक्षण हेतु उसे मालखाना इंचार्ज हैड कानि. करमा देवी ने थाने के अगेषण पत्र व जरिये रोड़ के उसे सुपुर्द किये, जिस पर वह मय कागजात व जब्तशुदा आर्टिकल एफएसएल शाखा बाड़मेर लाकर हैड कानि. स्वरूपसिंह को दिये। स्वरूपसिंह द्वारा एसपी ऑफिस बाड़मेर का अग्रेषण पत्र तैयार कर उसे दिया, जिस पर उसके द्वारा उक्त जब्तशुदा आर्टिकल विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद दिनांक 23.08.2020 को प्राप्त कर वापस एसपी ऑफिस बाड़मेर पहुंच प्राप्ति रसीद की फोटोप्रति हैड कानि. स्वरूपसिंह को सुपुर्द कर थाना हाजा पहुंचकर मूल कागजात व रसीद व रोड़ सर्टिफिकेट मालखाना इंचार्ज करमा देवी को सुपुर्द किये। उक्त सैम्पल जब तक उसके पास रहे, तब तक सुरक्षित व सीलबंद हालात में रहे। पुलिस थाना महिला का अ्ग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 19 है, एसपी बाड़मेर का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 16 है। रोड़ नं. 68 प्रदर्श पी 17 है। प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 18 है।बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि जो सीलबंद जार थे, उसमें क्या था, वह नहीं बता सकती । इस सुझाव को स्वीकार किया कि उक्त आर्टिकल के सील चेपा थाने में किये थे, फिर मालखाने में जमा किया था, फिर एफएसएल हेतु उसे दिये थे, जो उसने लाकर एसपी ऑफिस में स्वरूपसिंह को दिये थे ।

28. अभियोजन की ओर से परीक्षित एफएसएल हेतु अग्रेषण–पत्र तैयार करने वाला गवाह पी.डब्ल्यू 14 स्वरूपसिंह ने कथन किया कि वह दिनांक 22.07.2020 को एसपी ऑफिस बाड़मेर में हैड कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस रोज पुलिस थाना महिला से महिला कानि. पवनी मुकदमा नम्बर 147/2020 से संबंधित चार सील्ड पैकेट जरिए रोड़ नम्बर 68/2020 के द्वारा एफएसएल परीक्षण करवाने हेतु लेकर आई, जिस पर उसके द्वारा कागजात व सीले चैक कर सही पाए जाने पर अतिरिक्त निदेशक एफएसएल जोधपुर के नाम अग्रेषण पत्र तैयार कर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर करवाकर कागज व सैम्पल एफएसएल जोधपुर में जमा करवाने हेतु महिला कानि. पवनी को सुपुर्द किए। पवनी द्वारा सैम्पल एफएसएल में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की, जिसकी छायाप्रति उसके द्वारा कार्यालय रेकर्ड में रखी जाकर असल रसीद व कागजात थाने ले जाने हेतु महिला कानि. पवनी को सुपुर्द किए। जब तक सैम्पल उसके पास रहे तब तक सीलबन्द व सुरक्षित हालात में रहे। एसपी ऑफिस का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 16 है। रोड़ सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 17 है। प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 18 है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 16 व 18 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है ।

29. अभियोजन की ओर से परीक्षित एक अन्य घटनाक्रम का गवाह पी.डब्ल्यू 01 अनिल शर्मा ने कथन किया कि साक्ष्य दिवस से करीब 07 माह पहले वह नागाणाराय नगर, बाड़मेर में रहता था, उसके पड़ौस में नखतसिंह का घर है। नखतसिंह का बेटा परमवीरसिंह अपनी पत्नी के साथ रहता है। नखतसिंह व परमवीरसिंह फौज में नौकरी करते थे। परमवीरसिंह नशेड़ी स्वभाव का था। घटना के दिन वह बाजार में था। फिर वह खाना खाने घर गया तो उसने देखा कि नखतसिंह के घर के आगे भीड़ है, तब वह भी वहां गया था तो वहां पर पड़ौसी बैठे थे और परमवीरसिंह की पत्नी खाट पर पड़ी थी। उसने जब देखा तब परमवीरसिंह की पत्नी मृत थी। उसने ऐसा सुना था कि परमवीरसिंह ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या की थी। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने परमवीरसिंह को अपनी पत्नी के साथ दहेज के कारण लड़ते, झगड़ते व मारपीट करते व मारते हुए नहीं देखा । उसे नहीं पता कि परमवीर की पत्नी किस कारण मरी । इस सुझाव को स्वीकार किया कि परमवीरसिंह द्वारा अपनी पत्नी को मारने की सुनने की बात भूल से लिखायी थी और उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है ।

30. अभियोजन की ओर से परीक्षित एक अन्य घटनाक्रम का गवाह पी.डब्ल्यू 02 सगतसिंह ने कथन किया कि वह रावों की ढाणी लंगेरा बाड़मेर में रहता है । साक्ष्य

दिवस से करीब 06 माह पहले की बात है । घटना क्या हुई थी, उसे नहीं पता है, वो तो भगवान को पता है । उक्त गवाह पक्षद्रोही हुआ तथा अपर लोक अभियोजक द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसका घर व परमवीर का घर पास–पास आया हुआ है । इस सुझाव को अस्वीकार किया कि परमवीर की पत्नी की हत्या हुई थी तथा परमवीर ने अपनी पत्नी को मारा हो । उक्त गवाह ने स्वयं के पुलिस बयान प्रदर्श पी 01 पुलिस को देने से इन्कार किया तथा इस सुझाव को अस्वीकार किया कि परमवीर ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की हो तथा परमवीर अनी पत्नी को दहेज के लिए परेशान करता हो । इस सुझाव को भी अस्वीकार किया कि परमवीर उसका पड़ौसी होने से उसको बचाने के लिए आज झूठा बयान दे रहा हो । बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया कि उसने कभी पंकज कंवर के संबंध में कभी पंचायती करते व आते–जाते नहीं देखा । इस सुझाव को स्वीकार किया कि नखतसिंह को घटना के बाद पुलिस आने पर फोन करके बुलाया था। इस सुझाव को स्वीकार किया कि परमवीर के खिलाफ यह मुकदमा झुठा बनाया है।

31. अभियोजन की ओर से परीक्षित एक अन्य घटनाक्रम का गवाह पी.डब्ल्यू 03 देवीसिंह पुत्र शोभसिंह ने कथन किया कि वह सामान्य रूप से जेसिन्दर गांव बाड़मेर में रहता है और यहां पर उसका मकान नागाणाराय नगर बाड़मेर में भी है । उसके पड़ौस में नखतसिंह, नरपतसिंह वगैरा रहते हैं । वह नखतसिंह को जानता है, उसके दो लड़के हैं, जिसमें परमवीरसिंह व जितेन्द्रसिंह हैं । घटना जून 17, 2020 को हुई थी । नखतसिंह के घर में एक महिला खाट पर पड़ी थी । वह महिला परमवीरसिंह की पत्नी थी और मृत अवस्था में थी । परमवीर की पत्नी क्यों मरी व किसलिए मरी, उसे पता नहीं है । उक्त गवाह पक्षद्रोही हुआ तथा अपर लोक अभियोजक द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह ने स्वयं के पुलिस बयान प्रदर्श पी 02 पुलिस को देने से इन्कार किया तथा इस सुझाव को अस्वीकार किया कि परमवीरसिंह उसका कोई रिश्तेदार हो । इस सुझाव को अस्वीकार किया कि परमवीर ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की हो । इस सुझाव को अस्वीकार किया कि परमवीर अपनी पत्नी को दहेज के लिए परेशान करता हो । इस सुझाव को अस्वीकार किया कि परमवीर उसका पड़ौसी होने से उसको बचाने के लिए आज झूठा बयान दे रहा हो । बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया कि उसने कभी पंकजकंवर के संबंध में कभी पंचायती करते व आते–जाते नहीं देखा । इस सुझाव को स्वीकार किया कि उनके समाज में दहेज का कोई लेना–देना नहीं है । इस सुझाव को स्वीकार किया कि इस घटना में दहेज के बारे में कोई

लेना–देना नहीं है। इस सुझाव को स्वीकार किया कि परमवीर के खिलाफ यह मुकदमा झूठा बनाया है ।

32. अभियोजन की ओर से परीक्षित एक अन्य घटनाक्रम का गवाह पी.डब्ल्यू 05 सोहनलाल ने कथन किया कि वह 2009 से नागाणाराय नगर, बाड़मेर में रहता है । उसके सामने अनिल शर्मा का मकान है । साक्ष्य दिवस से करीब 5–6 माह पहले की बात है । वह कोरोना के कारण घर पर ही रहता था तो दिन के करीब 1 व 2 बजे के आस–पास आवाज आयी तो वे देखने के लिए गये तो परमवीरसिंह के घर में परमवीर की पत्नी मृत अवस्था में चारपाई पर पड़ी थी । परमवीरसिंह की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई और क्यों हुई, उसे पता नहीं है । उक्त गवाह पक्षद्रोही हुआ तथा अपर लोक अभियोजक द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह ने स्वयं के पुलिस बयान प्रदर्श पी 11 पुलिस को देने से इन्कार किया तथा कथन किया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि परमवीरसिंह अपनी पत्नी को दहेज के लिए परेशान करता हो । इस सुझाव को अस्वीकार किया कि परमवीरसिंह ने दहेज के लिए अपनी पत्नी पंकज कंवर को मारा हो। इस सुझाव को अस्वीकार किया कि परमवीरसिंह उसका सहकर्मी होने से वह उसे बचाने के लिए आज झूठे बयान दे रहा हो ।

33. अभियोजन की ओर से परीक्षित एक अन्य घटनाक्रम का गवाह पी.डब्ल्यू 06 मनोहरसिंह ने कथन किया कि वह 2017 से नागाणाराय नगर बाड़मेर में रहता है । उसके पड़ौस में सोहनलाल विश्नोई रहते हैं । उसके सामने परमवीरसिंह का मकान है । 17 जून 2020 की बात है । परमवीर की पत्नी चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ी थी । परमवीरसिंह की पत्नी क्यों मरी व किसलिए मरी व किसने मारा, उसे नहीं पता । वो तो भगवान को पता है और मरने वाली को पता है । उक्त गवाह पक्षद्रोही हुआ तथा अपर लोक अभियोजक द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह ने स्वयं के पुलिस बयान प्रदर्श पी 12 पुलिस को देने से इन्कार किया तथा इस सुझाव को अस्वीकार किया कि परमवीरसिंह ने अपनी पत्नी को दहेज के लिए मारा हो तथा परमवीरसिंह उसका रिश्तेदार होने से आज झूठे बयान दे रहा हो । बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि इन्द्रोई व तेजमालता वालों के दहेज का कोई सिस्टम नहीं है, जो अपनी हैसियत के अनुसार दे दता है । परमवीरसिंह व उसके ससुराल वालों के आपस में घटना से पहले आना–जाना रहता था, जिनके मध्य कोई विवाद नहीं था ।

34. दोनों पक्षों की ओर से दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया । अभियुक्त पर धारा 498 ए के अतिरिक्त धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है तथा उसके लिए न्यायालय सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विचार करना उचित पाता है कि प्रस्तुत मामले में मृतका अभियुक्त परमवीरसिंह की विवाहिता पत्नी है, जिसकी मृत्यु उसके विवाह के 07 वर्ष के भीतर प्रकृति के सामान्य अनुक्रम से भिन्न परिस्थितियों में हुई है या नहीं । यदि इस संबंध में पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी 34 विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र का अवलोकन किया जाये तो यह स्पष्ट है कि मृतका पंकज कंवर अभियुक्त परमवीरसिंह की वैध विवाहिता पत्नी थी । इस तथ्य का कोई भी खण्डन अभियुक्त पक्ष की ओर से नहीं किया गया है । विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र के अवलोकन से यह दर्शित है इनका विवाह दिनांक 03.02.2014 को सम्पन्न हुआ था एवं पंकज कंवर की मृत्यु प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 के अनुसार दिनांक 18.06.2020 या उससे करीब 12–36 घण्टे पूर्व होना दर्शित हो रही है, जिससे यह प्रकट है कि पंकज कंवर की मृत्यु उसके विवाह से 07 वर्ष के भीतर हुई है । जहाँ तक मृत्यु प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में होने का प्रश्न है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 13, विशेषज्ञ की राय प्रदर्श पी 14 व फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी 07 तीनों के ही अवलोकन से यह दर्शित है कि पंकज कंवर की मृत्यु फांसी के फंदे पर लटककर अथवा रस्सी के दबाव के कारण होना जाहिर किया गया है । अतः न्यायालय के समक्ष यह स्थिति भी स्पष्ट है कि पंकज कंवर की मृत्यु प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में नहीं हुई है, अपितु गले पर रस्सी के दबाव के कारण अथवा फांसी के फंदे पर लटकने से होना जाहिर किया गया है ।

35. चूंकि अभियुक्त पर लगाए गए दोनों ही धाराओं के आरोपों में दहेज की माँग अपराध का मुख्य कारण बतायी गयी है, अतः अब न्यायालय द्वारा यहाँ इस बिन्दु पर विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या पत्रावली पर इस बिन्दु पर कोई सुदृढ़ साक्ष्य अभियोजन की ओर से पेश की जा सकी है कि पंकज कंवर से विवाह के पश्चात् लगातार दहेज की माँग की जा रही थी और उक्त माँग की पूर्ति नहीं किये जाने से उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा था । साथ ही पंकज कंवर की मृत्यु से ठीक पूर्व उसे दहेज के लिए तंग व परेशान किया गया था या नहीं । इस संबंध में दहेज की परिभाषा पर विचार करना महत्वपूर्ण है । धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता के स्पष्टीकरण में दहेज का वही अर्थ बताया गया है, जो कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 02 में उल्लेखित है एवं उक्त अधिनियम की धारा 02 के अनुसार दहेज का अर्थ ''कोई भी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूमि है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में विवाह के एक पक्ष

द्वारा दूसरे पक्ष को दी गयी हो या देने के लिए सहमत हुई हो अथवा विवाह के किसी भी पक्ष के माता–पिता द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी पक्ष या किसी अन्य व्यक्ति को विवाह के सिलसिले में विवाह से पूर्व या उसके बाद दी गयी हो ।'' इस संबंध में यदि पत्रावली पर मौजूद मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो दहेज की माँग के बिन्दु को साबित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी पीडिता के परिजनों हैं, जिनमें पीडिता का पिता शैतानसिंह पी.ड 16 के रूप में परीक्षित हुआ है, वहीं उसकी माता सरे कंवर पी.ड 15 के रूप में परीक्षित हुई है । इन दोनों ही गवाहान की साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । हालांकि दोनों गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन करते हैं कि मृतका पंकज कंवर को उसके पति व ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए तंग–परेशान किया जाता था और मारपीट भी की जाती थी, परन्तु जब गवाह पी.ड 15 सरे कंवर मृतका की माता से बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गयी तो उसने स्पष्ट किया कि दहेज की माँग की बात सबसे पहले सुरेन्द्र ने बतायी, परन्तु उक्त बात कब बतायी गयी एवं सुरेन्द्र को इस तथ्य की जानकारी कब हुई, इस बात का कोई उल्लेख इस गवाह की साक्ष्य में नहीं है । इसी प्रकार मृतका के पिता पी.ड 16 शैतानसिंह ने भी जिरह में कथन किया कि उनके समाज में दहेज की माँग का प्रचलन नहीं है एवं सगाई के समय नखतसिंह व उसके परिवार वालों ने दहेज की माँग नहीं की थी । हैसियत के अनुसार दहेज दे दिया गया था । इस प्रकार पीडिता के माता–पिता दोनों ही यह तथ्य स्पष्ट नहीं कर पा रहे है कि पीडिता के साथ दहेज की माँग कब की गयी और दहेज के रूप में उससे क्या माँगा जाता था । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पीडिता की माता तो दहेज का तथ्य सुरेन्द्र से पता चलना बताती है । सुरेन्द्र प्रस्तुत मामले में मृतका पंकज कंवर का भाई है, जो कि पी.ड 04 के रूप में परीक्षित हुआ है । यह गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि शादी के करीब 06 माह बाद से ही पीडिता को दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया था, फिर समझाईश की तो पीडिता के ससुराल वालों ने परेशान नहीं करने का कथन किया, परन्तु पुनः परेशान करना शुरू कर दिया । दिनांक 17.06.2020 को भी अपनी बहन पंकज कंवर द्वारा फोन पर यह बात बताने का कथन करता है कि उसे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, परन्तु जब इस गवाह से अभियुक्त पक्ष द्वारा जिरह की गयी तो उसने स्वीकार किया कि उन्होंने दहेज की कोई सूची पत्रावली पर पेश नहीं की । साथ ही यह भी स्वीकार किया कि सगाई एवं शादी के समय अभियुक्त की ओर से दहेज की कोई माँग नहीं की गयी थी । सामाजिक हैसियत अनुसार दहेज दे दिया गया था । साथ ही घटना वाले दिन सुबह 09:30 बजे पंकज कंवर का कॉल आने की बात भी किसी को नहीं बताने का कथन

जिरह में करता है । यहाँ तक कि यह गवाह यह भी स्वीकार करता है कि घटना से करीब 06 माह पहले उसकी बहन मंगलसुत्र व अंगुठियाँ उनके घर रखकर चली गयी थी । यह गवाह कथन करता है कि जब पीडिता के साथ दहेज की माँग की जा रही थी तो उसके ससुराल वालों को समझाने के लिए पंचायत की गयी थी, परन्तु उक्त पंचायत में मुलजिमान के पड़ौसियों व भाईयों को बुलाने से इन्कार कर रहा है । इस गवाह ने भी अपने सम्पूर्ण बयानों में यह स्पष्ट नहीं किया कि वास्तव में पीडिता पंकज कंवर से दहेज के रूप में क्या माँगा जा रहा था । दहेज की माँग के संबंध में की गयी पंचायत का भी गवाह परीक्षित नहीं हुआ है ।

36. इन गवाह के अतिरिक्त पीडिता के चचेरे भाई पी.ड 17 ईश्वरसिंह व पी.ड 19 फतेहसिंह को भी घटना की पुष्टि एवं दहेज की माँग की पुष्टि हेतु परीक्षित करवाया गया था, परन्तु गवाह पी.ड 17 ईश्वरसिंह अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि पंकज कंवर को कौन–कौन तंग व परेशान करते थे, वह नहीं जानता । हालांकि अभियुक्त द्वारा पंकज कंवर के साथ मारपीट करना बताता है व कथन करता है कि जब समझाईश की तो उसके ससुराल वालों ने बताया कि आगे से ऐसा नहीं होगा । इस गवाह की सम्पूर्ण मुख्य परीक्षा में दहेज के संबंध कोई कथन नहीं किया गया है । वह मृतका पंकज कंवर को अभियुक्त द्वारा परेशान करना अवश्य बता रहा है, परन्तु उसे दहेज की माँग को लेकर परेशान किया गया था, इस बात का कोई कथन नहीं किया है । गवाह पी.ड 19 फतेहसिंह यह कथन जरूर करता है कि पीडिता से दहेज की माँग की गयी थी, परन्तु सगाई के समय कोई दहेज नहीं माँगा गया था, कथन करता है । साथ ही यह कथन करता है कि यदि माँग की गयी थी तो उसे पता नहीं एवं इस गवाह ने यह भी कथन किया कि उसका मृतका के ससुराल जाने का कभी कोई काम नहीं पड़ा । इस गवाह ने जिरह में यह भी स्वीकार किया कि घटना के संबंध में और पंकज कंवर को परेशान करने के संबंध में उसे सुरेन्द्रसिंह ने बताया था, अर्थात् इस गवाह को दहेज के बिन्दु पर जो भी जानकारी प्राप्त हुई, वह उसे गवाह पी.ड 04 सुरेन्द्रसिंह से प्राप्त हुई थी । अतः इस गवाह की साक्ष्य सुनी–सुनाई साक्ष्य की श्रेणी में आती है ।

37. इस प्रकार पीडिता के परिवारजन दहेज के संबंध में ना तो यह स्पष्ट कर पा रहे हैं कि अभियुक्त ने दहेज में किस वस्तु की माँग की और ना ही यह स्पष्ट कर रहे हैं कि उक्त माँग कब–कब की गयी, अपितु इसके विपरीत सगाई व शादी में कोई माँग नहीं करने का तथ्य गवाहान की साक्ष्य से प्रकट हो रहा है । यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अनुसंधान अधिकारी पी.ड 24 सीमा चोपड़ा ने स्वयं अपनी जिरह में यह कथन किया कि घटना से पहले मृतका को परमवीर और उसके परिवार की ओर से

दहेज के लिए परेशान किया जाता हो और मृतका के पिता की ओर से पंचायत कर परमवीर व उसके परिजनों को समझाया हो, ऐसा कोई तथ्य उसके अनुसंधान में नहीं आया है। अपितु अनुसंधान अधिकारी के अनुसार परमवीर स्मैक के नशे का आदी था, जिसके कारण मृतका को स्मैक के सेवन के लिए रूपयों के लिए परेशान करता था और घर में क्लेश करता था। परमवीर द्वारा मृतका अथवा उसके पिता से दहेज की माँग नहीं की गयी। नशे का आदी होने के कारण गहने चुरा लेता था और उन्हें गिरवी रख देता था तथा रूपयां की माँग करता था। ऐसे में अनुसंधान अधिकारी ने भी इस तथ्य को पुष्ट किया है कि अभियुक्त परमवीर द्वारा पीडिता से दहेज की माँग नहीं की जाती थी। अपितु वह नशे का आदी था, जिसकी वजह से वह घर का सामान व जेवरात आदि गिरवी रख देता था, उक्त कारणवश घर में क्लेश रहता था।

38. इसके अतिरिक्त जो गवाह पीडिता के ससुराल में स्थित आवास के निकट निवास कर रहे थे, वे पत्रावली पर पी.ड 01 अनिल शर्मा, पी.ड 02 सगतसिंह, पी.ड 03 देवीसिंह पुत्र शोभसिंह, पी.ड 05 सोहनलाल, पी.ड 06 मनोहरसिंह व पी.ड 09 दुर्जनसिंह हैं, जिनमें गवाह पी.ड 02 सगतसिंह, पी.ड 03 देवीसिंह पुत्र शोभसिंह, पी.ड 05 सोहनलाल, पी.ड 06 मनोहरसिंह व पी.ड 09 दुर्जनसिंह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं और इस तथ्य को गलत होना बताते हुए कि परमवीर अपनी पत्नी को दहेज के लिए परेशान करता हो। हालांकि गवाह पी.ड 01 अनिल शर्मा पक्षद्रोही घोषित नहीं हुआ है एवं उसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि उसके द्वारा यह सुना गया कि परमवीर ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी, लेकिन उसने कभी परमवीर को उसकी पत्नी को दहेज की बात के लिए लड़ते–झगड़ते व मारपीट करते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि यह गवाह जिरह में यह भी कथन करता है कि उसने मुख्य परीक्षा में परमवीर द्वारा पत्नी को मारने वाली बात सुनने का जो कथन किया है, वह भूल से कर दिया है। इस प्रकार मृतका के ससुराल में निवास कर रहे आस–पड़ौसियों के बयानों से भी इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो रही है कि पीडिता से दहेज की माँग की जा रही हो।

39. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जो आरोप अभियुक्त के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा विरचित किये गये हैं, उनमें अभियुक्त द्वारा दहेज की माँग को लेकर पंकज कंवर को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रपीडित करने का आरोप क्रूरता के संबंध में धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता के परिप्रेक्ष्य में लगाया गया है, परन्तु न्यायालय के समक्ष गवाहान के बयानों से और अनुसंधान अधिकारी के बयानों से यह स्पष्ट हो रहा है कि मृतका पंकज कंवर के साथ परमवीरसिंह द्वारा दहेज की माँग किये जाने का कोई तथ्य पुलिस अनुसंधान से साबित ही नहीं हो पाया था। हालांकि पंकज कंवर व परमवीरसिंह के

मध्य इस बिन्दु पर विवाद होना अवश्य प्रकट हुआ है कि अभियुक्त परमवीरसिंह नशे का आदी था और नशे के लिए पंकज कंवर से पैसे माँगता था तथा घर का सामान भी बेच देता था, परन्तु दहेज माँगना साबित नहीं है। पीडिता के भाई सुरेन्द्र पी.ड 04 की जिरह में भी यह तथ्य प्रकट हो रहा है कि पीडिता अपनी मृत्यु से छः माह पूर्व अपना मंगलसुत्र व अपनी अंगुठियां अपने पीहर रखकर आ गयी थी, जिससे इस तथ्य को बल मिलता है कि परमवीर द्वारा घर के सामान को नशे की लत के चलते बेच दिया जाता था । प्रस्तुत मामले में ऐसा दर्शित नहीं हो रहा है कि कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अथवा पैसा अभियुक्त परमवीरसिंह द्वारा दहेज के रूप में पीडिता से माँगा जा रहा हो । निश्चित रूप से यदि पीडिता से दहेज की माँग की जाती तो पीडिता के माता–पिता व भाई द्वारा इस तथ्य को अवश्य स्पष्ट किया जाता कि परमवीर द्वारा दहेज में क्या माँगा गया है । परन्तु ना तो वे यह स्पष्ट कर रहे हैं कि अभियुक्त दहेज में पैसे माँग रहा था या अन्य कोई वस्तु, ना ही यह स्पष्ट कर रहे हैं कि अभियुक्त ने पीडिता से दहेज की माँग कब–कब की थी । न्यायालय के विचार में मात्र पीडिता के माता–पिता व भाई द्वारा औपचारिक रूप से यह कथन कर देने से कि अभियुक्त द्वारा दहेज की माँग को लेकर पीडिता को प्रताडित किया जाता था, उक्त अपराध साबित नहीं माना जा सकता । चूंकि ये सभी गवाह पीडिता के निकट रिश्तेदार है, जो कि उसकी मृत्यु से आहत् है व हितबद्ध गवाह हैं । इन गवाहान की साक्ष्य का दहेज के बिन्दु पर स्पष्ट और सुदृढ़ होना न्याय की दृष्टि से अपेक्षित है । प्रस्तुत मामले में दहेज की माँग को लेकर अस्पष्ट कथन किये जा रहे हैं, ऐसे में विवाह के पश्चात् मृतका पंकज कंवर से अभियुक्त द्वारा दहेज की माँग को लेकर मानसिक व शारीरिक क्रूरता करने का तथ्य संदेहास्पद है।

40. प्रस्तुत मामले में जिस प्रकार धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता और धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता का आरोप लगाया गया है, उनमें दोनों ही आरोपों को साबित करने के लिए दहेज की माँग का साबित किया जाना आवश्यक है । धारा 304 बी भादसं के मामलों में जो तीन मूलभूत तथ्य अभियोजन की ओर से प्रारम्भिक भार के रूप में साबित किये जाने हैं, वे मुख्य रूप से इस प्रकार हैं कि मृतका अभियुक्त की पत्नी हो तथा उनके विवाह के सात वर्ष के भीतर प्रकृति के सामान्य अनुक्रम से भिन्न परिस्थिति में उसकी मृत्यु हुई हो और आरोपी व्यक्ति द्वारा मृतका के साथ मृत्यु से कुछ समय पहले दहेज की माँग या उससे संबंधित किसी भी उद्देश्य को लेकर महिला के साथ क्रूरता की गयी हो या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया हो । जब अभियोजन पक्ष द्वारा प्रारम्भिक रूप से इस बिन्दु को साबित कर दिया जाता है तब साक्ष्य

अधिनियम की धारा 113 बी के प्रावधान लागू हो जाते हैं । प्रस्तुत मामले में ऐसी कोई साक्ष्य दर्शित नहीं हो रही है कि अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ विवाह से पूर्व या विवाह के पश्चात् दहेज के रूप में किसी राशि या मूल्यवान प्रतिभूति की माँग की गयी हो। जैसा कि उपरोक्त विवेचन किया गया है कि मृतका के निकट रिश्तेदार माता–पिता व भाई भी औपचारिक रूप से दहेज की माँग करना बताते हैं, परन्तु दहेज की माँग का स्वरूप नहीं बता पा रहे हैं । ऐसे में दहेज की माँग का बिन्दु सर्वप्रथम संदेहास्पद है, जो कि धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता का एक महत्वपूर्ण घटक है ।

41. अब यदि न्यायालय द्वारा पंकज कंवर की मृत्यु की परिस्थितियों पर विचार किया जाये तो यह तो न्यायालय के समक्ष स्पष्ट है कि पंकज कंवर की मृत्यु प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में नहीं हुई है और चिकित्सक द्वारा जो राय प्रदर्श पी 14 पर सी से डी स्थान पर प्रकट की गयी है, उसके अनुसार पंकज कंवर की मृत्यु गले पर रस्सी के दबाव के कारण हुई है, फांसी का फंदा लगाने से नहीं हुई है । पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 के अनुसार मृत्यु का कारण गला घोंटने से दम घुटने के कारण होना बताया गया है । इस रिपोर्ट की पुष्टि बाबत् पत्रावली पर गवाह पी.ड 13 डॉ अरूण कुमार सोनी को परीक्षित करवाया गया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि मृतका के गले पर लिग्रेचर मार्क पाया गया था, जिसे उन्होंने फंदे का निशान होना बताया, जो कि गले के सामने की तरफ सामानान्तर स्थिति पर था व बांयी तरफ हल्का सा तिरछी स्थिति पर था । गले के पीछे की तरफ कोई लिग्रेचर मार्क नहीं था, ना ही गांठ का निशान पाया गया । ऐसे में पंकज कंवर की मृत्यु गले पर रस्सी के दबाव के कारण होना जाहिर किया गया, फांसी के फंदे से नहीं । जबकि अभियुक्त पक्ष का यह कथन है कि मृतका पंकज कंवर द्वारा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की गयी थी । इस संबंध में इस गवाह डॉ. अरूण कुमार सोनी से अभियुक्त पक्ष से जिरह की गयी तो गवाह ने स्वीकार किया कि मृतका के शरीर पर गले पर लगे रस्सी के निशान के अलावा और कोई चोट का निशान नहीं पाया गया । इस सुझाव को सही बताया कि गला घोंटने से उसकी श्वास नली में फैक्चर व चोट आना संभव था । हायोड में चोट आना संभव था, परन्तु मृतका की श्वास नली व हायोड नली में कोई चोट नहीं थी । स्वयं इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि पूर्णतः जागृत अवस्था में मृतका का गला दबाने पर विरोध स्वरूप उसके शरीर पर निशान आना संभव है, लेकिन मृतका के नाखून, चमड़ी और कपड़ों पर खून के कोई निशान नहीं पाये गये । गवाह ने स्पष्ट किया कि मेडिकल बोर्ड की यह राय कि पंकज कंवर की मृत्यु गले पर दबाव के कारण हुई, यह इसलिए थी क्योंकि गले के पीछे फंदे की गांठ व फंदे के निशान नहीं पाये गये थे, जबकि इस गवाह

ने स्वयं यह स्वीकार किया कि कई परिस्थितियों में यदि फंदे पर लगी गांठ बालों पर आ जाये तो उसके निशान गर्दन पर नहीं पाये जाते हैं । इस गवाह द्वारा इस सुझाव को भी सही बताया गया कि इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि मृतका की मृत्यु फांसी के फंदे से हुई हो, अर्थात् जहाँ एक ओर यह गवाह मुख्य परीक्षा में पंकज कंवर की मृत्यु गला दबाने से होना बताता है, वहीं दूसरी ओर इस संभावना को भी व्यक्त कर रहा है कि उसकी मृत्यु फांसी के फंदे से भी हो सकती है तथा बोर्ड की राय गला दबाने से मृत्यु होने के संबंध में इसलिए देना बताता है, क्योंकि गर्दन पर फंदे की गांठ का निशान नहीं था, साथ ही यह संभावना भी व्यक्त करता है कि यदि ऐसी गांठ बालों पर आ जाये तो उक्त निशान गले व गर्दन पर नहीं आने की संभावना रहती है । ऐसे में न्यायालय के समक्ष यह प्रकट हो रहा है कि चिकित्सक की राय स्पष्ट नहीं है और परीक्षित गवाह डॉ. अरूण कुमार सोनी पी.ड 13 मृत्यु के संबंध में अतिसंभाव्य कारण स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, वह बोर्ड द्वारा दिये गये निष्कर्ष में भी अपने कथनों से संदेह की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, जिससे अभियोजन की ओर से पेश की गयी साक्ष्य जो मृतका की मृत्यु के चिकित्सकीय कारणों से संबंधित है, वास्तव में विरोधाभासी प्रकृति की है ।

42. प्रस्तुत मामले में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी 14 में दी गयी राय के अनुसार मृतका के गले पर रस्सी के दबाव के कारण उसकी मृत्यु हुई है, परन्तु प्रस्तुत मामले में कोई रस्सी बरामद नहीं हुई है । पुलिस द्वारा एक ओढ़णा बरामद किया गया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 05 पत्रावली पर मौजूद है, जिसके संबंध में अंकित है कि एक गाजरी रंग की ओढ़णी, जिसे फांसी के फंदे के रूप में प्रयोग लिया गया, कब्जे में लिया गया । उक्त ओढ़णा न्यायालय के समक्ष आर्टिकल 01 के रूप में पेश किया गया, परन्तु ऐसी कोई रस्सी पेश नहीं की गयी, जिससे प्रकट हो कि इससे मृतका का गला दबाया गया हो एवं ओढणी के संबंध में स्वयं पुलिस की फर्द में यह अंकित है कि इसे फांसी के फंदे के रूप में प्रयोग किया गया था । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पीडिता की मृत्यु गला घोंटने से होना बताया गया है एवं प्रस्तुत मामले में हत्या कारित करने वाला व्यक्ति अभियुक्त परमवीरसिंह बताया गया है, किसी अन्य व्यक्ति की लिप्तता प्रस्तुत मामले में जाहिर नहीं की गयी है । ऐसे में सामान्य परिस्थितियों में जहाँ कोई व्यक्ति पूर्णतः चैतन्य अवस्था में है, वहाँ गला घोंटने की सूरत में संघर्ष किया जाना स्वाभाविक है, परन्तु प्रस्तुत मामले में पीडिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह दर्शित हो रहा है कि उसके शरीर पर कोई चोट या संघर्ष के निशान मौजूद नहीं थे एवं तत्समय पीडिता का किसी भी नशे या विषाक्त के प्रभाव में नहीं होना, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श

पी 15 से भी प्रकट है । ऐसे में जहाँ पीडिता पूर्णतः जागृत अवस्था में थी, वहाँ अकेले अभियुक्त द्वारा उसका गला घोंटा जाना और उक्त परिस्थिति में पीडिता के शरीर पर कोई संघर्ष का निशान नहीं होना और अभियुक्त के शरीर पर भी कोई चोट का निशान नहीं होना, हत्या की परिस्थितियों को संदेहास्पद बनाता है ।

43. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पक्ष की ओर से गवाह डी.डब्ल्यू 01 प्रिया जो कि मृतका की ही पुत्री है और जिसकी आयु बयान दिये जाते समय करीब 11 वर्ष की थी, को परीक्षित करवाया गया है, इस गवाह ने घटना वाले दिन के संबंध में यह कथन किया कि उसकी मम्मी, जो कि मृतका पंकज कंवर थी, ने उसे कहा कि वे उनके घर के ऊपरी मंजिल पर झाड़ू लगाने जा रही है और प्रिया को ऊपर आने से मना किया । मृतका की पुत्री ने न्यायालय के समक्ष प्रकट किया कि तत्समय उसके पिता पड़ौस में बुआ के यहाँ कैरम खेलने गये थे, जब मृतका पंकज कंवर को आवाज लगाने पर भी वह नहीं आयी तो प्रिया अपनी बुआ को बुलाकर लायी, जिसने ऊपर जाकर देखा और प्रिया से कहा कि तुम नीचे ही रहना । पीडिता की पुत्री द्वारा मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ नशे के लिए पैसे नहीं देने की बात पर मारपीट की जाती थी और जब उसकी मम्मी ने फांसी खाई तो उससे दो–तीन दिन पहले उसके व उसकी बहन के कपड़ों के बीच अभियुक्त द्वारा स्मैक का पैकेट रख दिया था, जिस बात को लेकर अभियुक्त व मृतका के बीच झगड़ा हुआ था । हालांकि यह गवाह यह स्वीकार कर रही है कि अभियुक्त पीडिता के साथ मारपीट करता था, परन्तु उक्त मारपीट दहेज की बात को लेकर करना दर्शित नहीं हो रहा है, अपितु ऐसा दर्शित होता है कि अभियुक्त के नशे की लत की वजह से मृतका व अभियुक्त के मध्य झगड़े होते थे । प्रतिरक्षा में पेश किये गये इस बयान के अवलोकन से तो यह भी प्रकट हो रहा है कि जिस समय पंकज कंवर की मृत्यु हुई, तब अभियुक्त परमवीरसिंह घर पर ही नहीं था ।

44. अब यदि अभियोजन की साक्ष्य का इस संबंध में अवलोकन किया जाये तो ऐसा कोई गवाह न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ, जो यह प्रकट करें कि घटना के समय अभियुक्त घर पर मौजूद हो । पत्रावली पर मोबाईल नंबरों से संबंधित सीडीआर अवश्य प्रस्तुत की गयी है, यदि इस संबंध में प्रदर्श पी 24 का अवलोकन किया जाये तो ये सीडीआर आरोपी नखतसिंह, गणपतसिंह एवं पवन कंवर के मोबाईल नंबर के संबंध में निकाली गयी थी । अभियुक्त परमवीरसिंह के मोबाईल की लोकेशन तत्समय क्या थी, यह स्पष्ट नहीं किया गया है । यदि यह मान भी लिया जाये कि वह पड़ौस में मौजूद था तो भी पीडिता का गला अभियुक्त द्वारा घोंटा गया हो या उसके द्वारा पीडिता को

फांसी पर लटकने के लिए विवश किया गया हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर दर्शित नहीं हो रही है। अभियोजन का कोई भी गवाह मौके पर मौजूद नहीं था । सभी गवाहान द्वारा यह संभावना व्यक्त की गयी है कि उक्त मृत्यु अभियुक्त परमवीरसिंह द्वारा दहेज की माँग पूरी नहीं करने की वजह से कारित की है, परन्तु पत्रावली में दहेज की माँग साबित ही नहीं है । ना ही यह संदेह से परे साबित है कि मृतका पंकज कंवर की मृत्यु गला घोंटने से हुई हो, चूंकि चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार उक्त मृत्यु फांसी पर लटकने से भी होना संभावित है । ऐसे में समस्त परिस्थितियों को देखते हुए इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 18.06.2020 से लगभग 06 वर्ष पूर्व परिवादी सुरेन्द्रसिंह की बहन पंकज कंवर के साथ विवाह के पश्चात् से दिनांक 17.06.2020 तक लगातार उसे दहेज बाबत् मानसिक व शारीरिक रूप से प्रपीडित कर क्रूरता की और दहेज की माँग पूरी नहीं होने के परिणामस्वरूप दिनांक 17.06.2020 को दिन के 02:45 बजे या उसके लगभग किसी समय नागाणाराय नगर में स्थित अभियुक्त के मकान में पंकज कंवर का गला दबाकर उसकी मृत्यु कारित की हो। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपने मामले को अभियुक्त परमवीरसिंह उर्फ हैप्पी के विरूद्ध प्रस्तुत मामले की आरोपित धाराओं में संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है ।

– आदेश –

45. निष्कर्षतः अभियुक्त परमवीरसिंह उर्फ हैप्पी पुत्र नखतसिंह, निवासी ईन्द्रोई, पुलिस थाना रामसर, हाल नागाणाराय कॉलोनी, पुलिस थाना सदर, जिला बाड़मेर (राज0) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए, 304बी के अपराध के आरोप से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

46. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त को धारा 481 भा.ना.सु.सं. के अधीन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर उपस्थित होने हेतु 15,000/–रूपये का बन्ध–पत्र एवं इसी राशि का प्रतिभूति–पत्र प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(मिनाक्षी मीणा)

47. निर्णय आज दिनांक 10.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मिनाक्षी मीणा)